

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2016

[पॉलिटेक्निक (अभियंत्रण) / पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण / पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) / पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)]

DIPLOMA-CERTIFICATE ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION-2016

[POLYTECHNIC (ENGG.) / PART TIME 4 YEARS POLYTECHNIC ENGG. / PARA MEDICAL-DENTAL (MATRIC LEVEL) /

PARA MEDICAL (INTERMEDIATE LEVEL)]

D.C.E.C.E. (PE / PPE / PMD / PM) - 2016

विवरण-पुस्तिका 2016

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद
(बिहार सरकार)

आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि : 16.05.2016
परीक्षा की तिथि : 11.06.2016 एवं
12.06.2016

विषय-सूची

<u>क्रम सं.</u>	<u>विवरण</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1.	परिचय ।	3
2.	पाठ्यक्रम-समूह ।	3
3.	संस्थान / पाठ्यक्रम / उपलब्ध सीटें ।	3
4.	पॉलिटिकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह (PE) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।	3
5.	पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकनिक अभियंत्रण (PPE) पाठ्यक्रम समूह के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।	4
6.	पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMD) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें ।	4
7.	पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।	4-5
8.	आरक्षण ।	5-6
9.	सैनिक कर्मचारी-कोटा (SMQ) के अन्तर्गत (सैन्यपाल्य हेतु) पॉलिटिकनिक अभियंत्रण एवं गैर अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूहों के लिए अतिरिक्त आरक्षित सीटें ।	6
10.	डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा : मुख्य तिथियाँ / प्रश्न पत्र / परीक्षा स्तर ।	8-8
11.	आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क ।	8-10
12.	आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश ।	10-12
13.	आवेदन पत्र भरने से संबंधित विशेष सूचना ।	12
14.	डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रक्रिया ।	12
15.	डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त ।	12-14
16.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ ।	14-15

परिशिष्ट / सारणी

सारणी 1.1	: त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की विवरणी ।	16-18
सारणी 1.2	: पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकनिक अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की विवरणी ।	19
सारणी 2.1	: पारा मेडिकल-डेन्टल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी ।	20
सारणी 3.1A	: पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत ए.एन.एम. नर्सिंग पाठ्यक्रम की सरकारी / गैर	21
एवं 3.1B	सरकारी संस्थानों की सीटों की विवरणी ।	
सारणी 3.1C	: पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत ग्रेड 'ए' नर्सिंग पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी।	22
सारणी 3.2	: पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत सीटों की विवरणी ।	23-24
परिशिष्ट-4.i	: PM/PMD पाठ्यक्रमों के लिए विकलांगता से सम्बन्धित अर्हता / योग्यता।	25
परिशिष्ट-4.ii	: PE/PPE पाठ्यक्रमों के लिए विकलांगता से सम्बन्धित अर्हता / योग्यता।	26
परिशिष्ट-4.iii	: सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) से सम्बन्धित विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार का संकल्प।	27
परिशिष्ट-5	: OMR से सम्बन्धित निर्देश ।	28-31
परिशिष्ट-6	: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम।	32
परिशिष्ट-7	: प्रपत्र (Format)।	33

LIST OF ENCLOSURES (CHECK LIST)

अनुलग्नकों की सूची (जाँच सूची)

Sl.No. क्रम. सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from where it should be obtained व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
1.	Certificate of passing (ii) Marks sheet and (iii) Admit Card, for Matric/ equivalent Examination for Polytechnic (Engg.) / P.P.E. / Para Medical-Dental Courses (Matric Level). माध्यमिक स्तरीय / समकक्ष परीक्षा पास होने का (i) प्रमाण पत्र (ii) अंक पत्र एवं (iii) प्रवेश पत्र [पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण)/पोलिटेकनिक (गैर अभियंत्रण)/पारा मेडिकल-डेंटल पाठ्यक्रम (माध्यमिक स्तरीय) के लिए]।	Board / equivalent बोर्ड / समकक्ष ।
2.	Certificate of passing (ii) Marks Sheet and (iii) Admit Card for Intermediate / or equivalent examination for Para Medical Courses (Intermediate Level). इंटर मीडिएट स्तरीय / समकक्ष परीक्षा पास होने का (i) प्रमाण पत्र (ii) अंक पत्र एवं (iii) प्रवेश पत्र [पारा मेडिकल पाठ्यक्रम (इंटरमीडिएट स्तरीय) के लिए]।	Relevant University / Council or its equivalent सम्बन्धित विश्वविद्यालय / परिषद् या समकक्ष ।
3.	Caste certificate जाति प्रमाण पत्र ।	Concerned C.O. of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत ।
4.	Income Certificate (If needed to be submitted at the time of counselling) आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार काउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है)।	Concerned C.O. counter signed by DM / SDO (Civil) of permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत एवं जिला पदाधिकारी / अनुमंडलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
5.	Application Form (Part-A) आवेदन पत्र (पार्ट-ए) ।	Duly filled in by the candidate and Photo pasted on specified space अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ और निर्दिष्ट स्थान पर फोटो चिपकाया हुआ ।
6.	(i) Certificate for permanent resident of Bihar बिहार के स्थायी / मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र । *(ii) Refugee Registration certificate शरणार्थी निबन्धन प्रमाण पत्र ।	Concerned C.O. of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा विधिवत निर्गत । Concerned DM (or ADM authorised by DM) /Refugee Registration Officer सम्बन्धित जिला पदाधिकारी (अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत ए.डी.एम.) / एस.डी.ओ. (सिविल) ।
	* (iii) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the Govt. of Bihar. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता बिहार सरकार के कर्मी हैं ।	Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता ।
	* (iv) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of Govt of India and posted in Bihar or an employee of any Public Sector Undertaking of the Govt. of India and posted in Bihar at the time of the submission of the application.	Employer concerned

Sl.No. क्रम. सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from where it should be obtained व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
	इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता भारत सरकार के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में पदस्थापित हैं या भारत सरकार के किसी उपक्रम के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में पदस्थापित हैं ।	सम्बन्धित नियोजनकर्ता ।
* (v)	Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the United Nations Organisation and that he/ she is at present posted in Bihar. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता युनाईटेड नेशन्स आर्गनाईजेशन के कर्मी (Employee) हैं एवं वे सम्प्रति बिहार में पदस्थापित हैं ।	Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता ।
* (vi)	Certificate for Servicemen's Quota (SMQ), clearly mentioning the relationship of the candidate. सर्विस मेन कोटा (SMQ) प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है ।	As per paragraph 9 of this Prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-9 के अनुसार ।
* (vii)	Certificate for Disabled Quota (DQ) विकलांगता कोटा (DQ) प्रमाण पत्र ।	As per paragraph 8.5 of this Prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-8.5 के अनुसार ।

*** Note :** *To be furnished wherever applicable.*
आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें ।

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2016

[पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण) / पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण / पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) / पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)]

1. बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के ज्ञापांक-200 दिनांक 02.02.2001 के अनुसार बिहार राज्य के अन्तर्गत पॉलिटेकनिक संस्थानों के विभिन्न अभियंत्रण तथा पत्रांक-वि.प्रा.(II) व/32/2014/2985 दिनांक 24.12.2014 / पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण (PPE) पाठ्यक्रमों और पत्रांक-वि.प्रा.(II) छात्र-03/2008/3226 दिनांक 29.11.2010 एवं पत्रांक-वि.प्रा.(II) व/32/2014/2881 दिनांक 12.12.2014 तथा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञापांक 37(26)/स्वा. दिनांक 04.02.2000 के अनुसार बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों एवं अन्य मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों के विभिन्न पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) तथा पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिये चयन हेतु डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2016, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।
2. **पाठ्यक्रम-समूह :**
- 2.1 **पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह (PE) :**
इस समूह में पॉलिटेकनिक संस्थानों के सभी अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड **PE** होगा।
- 2.2 **पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण समूह (PPE) :**
इस समूह में चयनित पॉलिटेकनिक संस्थानों के निर्धारित अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड **PPE** होगा।
- 2.3 **पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMD) :**
इस समूह में पारा मेडिकल-डेन्टल पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड **PMD** होगा।
- 2.4 **पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) :**
इस समूह में सभी पारा मेडिकल पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड **PM** होगा।
3. **संस्थान / पाठ्यक्रम / उपलब्ध सीटें :**
विभिन्न पाठ्यक्रम समूहों के लिए संस्थानों/ पाठ्यक्रमों/ उपलब्ध सीटों के विवरण निम्नलिखित सारणियों में उपलब्ध हैं-
- | पाठ्यक्रम समूह | सारणी सं. | परिशिष्ट सं. |
|--|-----------|--------------|
| i. पॉलिटेकनिक अभियंत्रण (माध्यमिक स्तरीय) | 1.1 | 1 |
| ii. पार्ट टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण | 1.2 | 1 |
- (माध्यमिक स्तरीय)
- iii. पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) 2.1 2
- iv. पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) 3.1A, 3.1B, 3.1C 3 एवं 3.2
- बिहार सरकार द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों / विषयों की शिक्षा, सीटों की संख्या में फेर बदल होने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार के पूर्व दे दी जायेगी। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में उपलब्ध सीटों पर राज्य सरकार एवं संस्थान के बीच अंतिम निर्णय के पश्चात ही नामांकन प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
4. **पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह (PE) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें :**
- 4.1 **शैक्षणिक :-**
पाठ्यक्रम : अभियंत्रण (तीन वर्षीय)।
शैक्षणिक योग्यता : (क) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष दसवीं की परीक्षा, कम-से-कम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण। (ख) जो आवेदक वर्ष 2016 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी पॉलिटेकनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए योग्यता-प्राप्त हैं, किन्तु इस परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन की तिथि तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- नोट :** विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट, शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी आभातशिप (AICTE) के अन्य बन्धेज लागू होंगे।
- 4.2 **आवासीय :-**
केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं, जो भारत वर्ष के नागरिक हैं और निम्नलिखित में से कम-से-कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- (i) जिनके माता/पिता बिहार के स्थायी / मूल निवासी हैं।
(ii) जिनके माता/पिता बिहार में निर्बाधित शरणार्थी (रिफ्यूजी) हैं।
(iii) जिनके माता/पिता बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।
(iv) जिनके माता/पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के उपक्रमों / संस्थानों के कर्मचारी हैं।
(v) जिनके माता/पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हैं।
- 4.3 **शारीरिक :-**
प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की डॉक्टर की जाँच करायी जायेगी। मेडिकल जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अलग से शुल्क देय होगा।

- 4.4 आयु :-**
अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदकों की कोई अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा नहीं है।
- 5. पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकल अभियंत्रण समूह (PPE) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।**
- 5.1 शैक्षणिक :-**
पाठ्यक्रम : अभियंत्रण (चार वर्षीय)।
- (क) शैक्षणिक योग्यता / कार्य अनुभव :**
10वीं कक्षा / समकक्ष परीक्षा उतीर्णता के साथ दो वर्षीय आई.टी.आई. पास।
- अथवा**
- 10वीं कक्षा / समकक्ष परीक्षा उतीर्णता तथा किसी निर्बंधित फर्म / कम्पनी / उद्योग / शैक्षणिक संस्थान तथा सरकारी / गैर सरकारी, स्वशासी निकायों से नामांकन हेतु आवेदित संकाय से संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव।
- (ख) नामांकन संस्थान (नवीन राजकीय पॉलिटिकल, पटना-13) से 50 कि.मी. परिधि क्षेत्र में अवस्थित सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी / अर्द्ध-सरकारी/ गैर सरकारी उद्योगों/ संगठनों में तकनीकी पर्यवेक्षक अथवा तृतीय श्रेणी में तकनीकी पद पर कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मी ही इस पाठ्यक्रम समूह में प्रवेश के पात्र होंगे।**
- (ग) उपरोक्त कंडिका 5.1(क) एवं 5.1(ख) के अनुसार वांछित पात्रता-प्राप्त अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी / अर्द्ध-सरकारी/ गैर सरकारी उद्योगों/ संगठनों के प्राधिकृत प्रधान अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें सम्बन्धित संगठन में अभ्यर्थी के कार्यरत रहने की अवधि, कार्य अनुभव का विवरण एवं चार वर्षीय अभियंत्रण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रायोजित (Sponsored) करने का उल्लेख होना आवश्यक है।**
- 5.2 आवासीय :-**
कंडिका 4.2 के समान।
- 5.3 शारीरिक :-**
कंडिका 4.3 के समान।
- 5.4 आयु :-**
पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकल अभियंत्रण समूह (PPE) के लिये आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2016 को न्यूनतम 19 वर्ष होनी चाहिए।
- 6. पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMD) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।**
- 6.1 शैक्षणिक :-**
पाठ्यक्रम : ड्रेसर (परिधापक)।
शैक्षणिक योग्यता : माध्यमिक परीक्षा / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से दसवीं या अन्य समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय यथा भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण। जो आवेदक वर्ष 2016 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्यता-प्राप्त हैं, किन्तु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन की तिथि तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- 6.2 आवासीय :-**
कंडिका 4.2 के समान।
- 6.3 शारीरिक :-**
कंडिका 4.3 के समान।
- 6.4 आयु :-**

पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह के लिये आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2016 को न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिये। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जायेगी। उम्र के सन्दर्भ में शपथ पत्र (अफिडेविट) या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

- 7. पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।**

7.1 शैक्षणिक :-

पाठ्यक्रम :

- (i) डिप्लोमा-इन-फार्मेसी (भारतीय भैषज्य परिषद की मान्यता संस्थान को प्राप्त होने की स्थिति में ही नामांकन किया जायेगा)।
- (ii) ऑफथैलमिक असिस्टेंट (चक्षु सहायक)।
- (iii) सैनटरी इन्स्पेक्टर (स्वच्छता निरीक्षक)।
- (iv) ओ.टी. असिस्टेंट (शल्य गृह सहायक)
- (v) लेबोरेट्री टेकनीशियन (प्रयोगशाला प्रावैधिक)
- (vi) एक्स-रे टेकनीशियन (एक्स-रे प्रावैधिक)
- (vii) ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक।
- (viii) स्टाफ ग्रेड 'ए' नर्सिंग कोर्स (केवल महिलाओं के लिये)।
- (ix) ए.एन.एम.(नर्सिंग) कोर्स (केवल महिलाओं के लिए)।
- (x) डेंटल मैकेनिक्स।
- (xi) डेंटल हाइजनिस्ट।

शैक्षणिक योग्यता : (क) डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइन्स या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण।

(ख) (i) जी.एन.एम. (ग्रेड-A जेनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी) कोर्स, जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा, के लिये 10+2 / 12th विज्ञान विषयों (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान) में कम-से-कम 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट होगी।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 / इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स, नर्सिंग कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से उत्तीर्ण किया है, वे भी जी.एन.एम. नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे।

(iii) ए.एन.एम. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसी अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 / इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे।

(ग) ए.एन.एम.(नर्सिंग) कोर्स, जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, के लिए केवल 10+2/12th परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(घ) शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक + 2 इंटरमीडिएट साइन्स या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हों वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

(ङ) डेंटल मैकेनिक्स एवं डेंटल हाईजनिस्ट कोर्स में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में कुल मिलाकर 50 % अंक के साथ 10+2 / इंटरमीडिएट साइन्स उत्तीर्ण।

(च) जो आवेदक वर्ष 2016 की 10+2 / इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त हैं, किन्तु इस

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

7.2

आवासीय :-

कॉडिका 4.2 के समान ।

7.3

शारीरिक :-

कॉडिका 4.3 के समान ।

7.4

आयु :-

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह के लिये आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2016 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिये । जी.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिए उक्त तिथि को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी जबकि ए.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आयु की सीमा नर्सिंग कॉउन्सेल ऑफ इन्डिया के अद्यतन प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जायेगी। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जायेगी । उम्र के सन्दर्भ में शपथ पत्र (अफिडेविट) या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा ।

7.5

स्टाफ ग्रेड-ए नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं ए.एन.एम.नर्सिंग पाठ्यक्रम केवल महिलाओं के लिये आरक्षित है । इस पाठ्यक्रम में प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवार के नामांकन के समय, गर्भवती होने की स्थिति में उनका नामांकन तो हो सकेगा लेकिन वे तत्काल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य नहीं होगी । ऐसी उम्मीदवार गर्भावस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य होंगी । उन्हें सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रशिक्षण के योग्य माना जाएगा । ऐसी उम्मीदवार निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद ही परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य होंगी।

8.

आरक्षण :

8.1

नामांकन हेतु चयन एवं तदुपरान्त प्रवेश के लिये बिहार सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक निर्धारित एवं लागू किये गये आरक्षण अधिनियम / नियमों/ नीतियों का पालन किया जायेगा।

8.2(क)

जो आवेदक बिहार राज्य के स्थायी / मूल निवासी (Permanent resident) हों उनके लिये प्रत्येक संस्थान की शाखावार सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं :-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16 %
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1 %
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18 %
4.	पिछड़ा वर्ग	12 %

(Backward Class : BC)

5. आरक्षित वर्ग की महिलायें – 3 %
(Reserved Category
Girls: RCG)

शेष 50% अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (General Category : GEN) की समझी जायेंगी।

(ख) जो आवेदक बिहार के स्थायी / मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में कॉडिका 9.2 (क) में कर्णांकित की गई आरक्षण कोटि की सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 11/आ0-विविध-50/ 2011 सा० 2710 दिनांक 26.08.2011 के अनुसार पत्र नहीं होंगे।

8.3

आवेदन-पत्र ऑन लाईन Submit करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत SC/ST/EBC/BC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) निर्धारित की जायेगी।

8.4 (i)

आरक्षित वर्ग के जैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि में मनोनुकूल पाठ्यक्रम / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपने सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेरिट पर पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा ।

(ii)

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA 385/2014 (जी.वी. नूतन वनाम राज्य सरकार व अन्य) तथा CWJC 17022/2014 (पतंजली श्रृषि, अधिवक्ता वनाम राज्य सरकार व अन्य) में क्रमशः दिनांक 06.05.2014 एवं दिनांक 25.09.2014 को पारित आदेश एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-1/कोर्ट-64/2014-01 (कैम्प-SHS) दिनांक 28.09.2014 के आलोक में उपरोक्त चयन विकल्प के कारण सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की जो सीट रिक्त होगी उसे सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा-सूची के अनुसार मेधा-सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा ।

(iii)

उपरोक्त सम्बन्ध में बिहार सरकार अगर जी.वी.नूतन द्वारा दायर एल.पी.ए.संख्या-385/2014 में दिनांक 06.05.2014 में पारित आदेश के आलोक में अथवा इसी सन्दर्भ में अन्य कोई सुविचारित संशोधन जारी करेगी तो उसे लागू किया जायेगा।

8.5

विकलांग कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

(i)

विकलांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की तीन प्रतिशत सीटें विकलांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी ।

(ii)

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, विकलांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण- प्रावधान लागू होगा।

(iii)

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वि. प्रा.(II) नामांकन-01/2015-1675 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार राजकीय पॉलिटेकनिक, सहरसा , राजकीय पॉलिटेकनिक,

गोपालगंज एवं नवीन राजकीय पॉलिटेकनिक, पटना-13 में विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 25 सीटें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है। जो उक्त संस्थानों के निर्धारित शाखाओं में समान रूप से वितरित होंगे।

8.5.1 विकलांग कोटा के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र / कंप्यूटर फार्म में निर्धारित स्थान पर अपना दावा अंकित कर बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी / बोर्ड द्वारा विकलांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करें। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये।

8.5.2 विकलांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर विकलांग आवेदक उन्हीं पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जिसके लिये स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित विकलांगता के अनुरूप उनकी विकलांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। डॉक्टरों जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरों जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा। [देखे परिशिष्ट-4(i) एवं 4(ii)]

8.5.3 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 948 दिनांक 17.04.2012 द्वारा संसूचित AICTE (अभातशिप) की "शिक्षण शुल्क छूट" योजना के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों के माता/ पिता (जिनके माता-पिता जीवित न हो उनके लिए अभिभावक) की वार्षिक आय रु.4.50 (चार लाख पचास हजार रुपये) से कम हो उनके लिए डिप्लोमा संस्थानों की कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5% अतिरिक्त सीटों पर नामांकन का प्रावधान है।

9. सैनिक कर्मचारी-कोटा (SMQ) के अन्तर्गत (सैन्यपाल्य हेतु) पॉलिटेकनिक अभियंत्रण एवं गैर अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूहों के लिए आरक्षित सीटें।

9.1 बिहार राज्य निवासी सेवारत / सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों के लिए प्रत्येक पॉलिटेकनिक संस्थान में सीटें (सर्विसमैन कोटा) आरक्षित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

नोट : सैनिक कर्मचारी कोटा के आरक्षित सीटों पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1647 दिनांक 08.06.2010 को परिशिष्ट 5(iii) में देखें।

9.2 सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित स्थानों पर नामांकन सिर्फ बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों को ही दी जाएगी।

9.3 सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए योग्य पाये गए आवेदकों द्वारा पॉलिटेकनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक के आधार पर निर्धारित मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जाएगा। उपर्युक्त अर्हता वाले छात्रों के अभाव में ये सीटें खाली रहेंगी।

9.4 सैनिक कर्मचारी कोटा की इन आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन हेतु साक्षात्कार / काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना प्रादेशात्मक (Mandatory) है।

(क) सेवारत सैनिक कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्रों एवं अविवाहित पुत्रियों के लिये :

(i) जिला दंडाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवेदक का संबंध और आश्रित प्रमाण पत्र।

(ii) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत सेवारत सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवारत सैनिक कर्मचारियों के लिए) या जिला सैनिक पर्षद (डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड) द्वारा निर्गत सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए)।

(iii) डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)।

(ख) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex.-Service Men) कौन है?

As per the Extract of "A Guide To Resettlement of Ex-Service Men-1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement :

(i) An Ex-Service Man is a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Militia are also now treated as "Ex-Service Men".

(iii) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as "Ex-Service Men" by the Ministry of Defence. The Categories are :

- Pension Holders of the continuous embodied service.
- Disabled Territorial Army personnel with disability attributed to Military Service.
- Family Pension Holders.
- Gallantry Award Winners.

10. डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा : मुख्य तिथियाँ/ प्रश्न पत्र / परीक्षा स्तर।

10.1 डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2016 की मुख्य तिथियाँ निम्नवत हैं :-

(i) Online Registration starting date: 05.04.2016

(ii) Online Registration closing date : 27.04.2016 (11.59 P.M.)

- (iii) Last date of payment through challan: 29.04.2016 (upto working hours of the bank)
- (iv) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card with final submission of the online Application Form of Registered candidate : 30.04.2016 (11.59 P.M.)
- (v) Online Editing of Application Form : 01.05.2016 to 04.05.2016 (11.59 P.M.)
- (vi) The hard copy of the online submitted application form (Part-A & Part-B) alongwith paid Bank Challan & enclosures dispatched by Registered / Speed Post must reach at the specified address mentioned in para 5(i) above latest by : 16.05.2016 (5.00 P.M.)
- (vii) Issue of Online Admit Card : 20.05.2016
- (viii) **Proposed date of Examination** (I) PE / PPE : 11.06.2016 (शनिवार) एवं (II) PM / PMD : 12.06.2016 (रविवार)

10.2 प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में रहेंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर निर्देशानुसार देंगे। उत्तर पत्रक का नमूना (Sample OMR Type Answer Sheet) तथा सम्बन्धित निदेश अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है। वास्तविक प्रश्नों की संख्या नमूने के उत्तर पत्रक में दिये गये प्रश्नों की संख्या से भिन्न हो सकती है।

10.3 परीक्षा के क्रम एवं अवधि में प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक की पीठ पर दिये गये गद्यांश को नीले / काले बॉल प्वाइंट कलम से अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करना अत्यावश्यक है अन्यथा उनके उत्तर-पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

10.4 पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र / परीक्षा की तिथि एवं अवधि / परीक्षा स्तर :

पॉलिटेकनिक अभियंत्रण PE, पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण समूह PPE का सम्मिलित एक प्रश्न पत्र एवं पारा मेडिकल-डेन्टल PMD - (माध्यमिक स्तरीय) तथा पारा मेडिकल PM, (इंटरमीडिएट स्तरीय) समूहों के लिये अलग अलग प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रवेश सत्र-2016 में नामांकन हेतु सम्पन्न की जायेगी।

पाठ्यक्रम-समूहवार प्रश्न- पत्र एवं परीक्षा की अवधि तथा परीक्षा स्तर निम्नलिखित हैं-

- (i) **प्रश्न पत्र - अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह (PE) एवं पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण समूह (PPE) :**
तिथि 11.06.2016 प्रथम पाली (11.00 a.m. to 1.15 p.m.)
अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
भौतिक विज्ञान	30	150
रसायन विज्ञान	30	150
गणित	30	150
	-----	----
	90	450

(नोट : परीक्षा माध्यमिक स्तरीय ।)

- (ii) **प्रश्न पत्र - पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM):**
तिथि 12.06.2016 प्रथम पाली (11.00 a.m. to 1.15 p.m.)
अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
सामान्य विज्ञान	25	125

(भौतिक / रसायन/ जीव विज्ञान)		
अंकगणितीय योग्यता	15	75
हिन्दी	15	75
अंग्रेजी	15	75
सामान्य ज्ञान	20	100
	-----	----
	90	450

(नोट : हिन्दी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान इंटरमीडिएट स्तरीय एवं सामान्य विज्ञान तथा अंकगणितीय योग्यता माध्यमिक स्तरीय।)

- (iii) **प्रश्न पत्र- पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMD):** तिथि 12.06.2016 द्वितीय पाली (2.00 p.m. to 4.15 p.m.)
अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
भौतिक विज्ञान	20	100
रसायन विज्ञान	20	100
गणित	10	50
जीव विज्ञान	10	50
हिन्दी	10	50
अंग्रेजी	10	50
सामान्य ज्ञान	10	50
	-----	----
	90	450

(नोट : परीक्षा माध्यमिक स्तरीय ।)

उपरोक्त तिथियाँ विज्ञापन के माध्यम से दी जायेंगी।

- 10.4.1** अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह PE, पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण समूह PPE (माध्यमिक स्तरीय), पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PM और पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PMD में से जिन पाठ्यक्रम समूह/ समूहों के लिये किसी आवेदक को अर्हता प्राप्त है, उन पाठ्यक्रम समूह/ समूहों में से जितने पाठ्यक्रम समूह/ समूहों का उल्लेख उसने अपने मूल आवेदन पत्र के विहित स्थान पर किया है और तदनुसार कंडिका-11.1(ii)(c) में उल्लिखित दर से परीक्षा शुल्क दिया है, केवल उन्ही पाठ्यक्रम समूह/ समूहों से संबंधित प्रश्न पत्र/ प्रश्न पत्रों में वह परीक्षा दे सकेगा।

- 10.4.2** उपरोक्त कंडिका 10.4.1 के आलोक में आवेदकों की पात्रता के अनुसार उनके मूल आवेदन पत्र के विहित स्थानों पर उल्लिखित पाठ्यक्रम समूह / समूहों के लिए कंडिका 10.4 में दिये गये पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र / परीक्षा तिथि एवं परीक्षा अवधि / परीक्षा स्तर के अनुसार प्रश्न पत्र / प्रश्न पत्रों में उन्हें परीक्षा देनी होगी।

- (क) जो आवेदक पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह PE की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कंडिका 10.4.(i)।

- (ख) जो आवेदक पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण (PPE) पाठ्यक्रम समूह (माध्यमिक स्तरीय) PPE की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण (PPE) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कंडिका 10.4.(i)।

- (ग) जो आवेदक पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PM की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे।

देखें कॉडिका 10.4.(ii)।

- (घ) जो आवेदक पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PMD की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कॉडिका 10.4.(iii)।

10.4.3 मेधा सूची :

PE / PPE / PMD / PM पाठ्यक्रम समूहों के लिये निर्धारित प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर उस पाठ्यक्रम समूह के लिये कोटिवार मेधा के आधार पर उस पाठ्यक्रम समूह के लिये कोटिवार मेधा सूचियाँ बनाई जायेंगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम समूहवार / कोटिवार बनाई गई मेधा सूचियों से पाठ्यक्रमवार/ कोटिवार उपलब्ध सीटों को पात्रता प्राप्त आवेदकों द्वारा मेधा- सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा।

किसी भी तरह के परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उपरोक्त विधि से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं स्वयं द्वारा दिये गये Password को भविष्य में प्रयोग / जरूरत के लिए अभ्यर्थी निश्चित रूप से सुरक्षित रख लें। अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर जो उपरोक्त विधि से प्राप्त हुआ है वही उनका User Name होगा।

- (ii) **Step - Two (Examination Fee) :** जिन अभ्यर्थियों ने ऊपर वर्णित Step One की प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया है वे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं Password द्वारा अपने एकाउन्ट में Login करने हेतु Sign In का बटन Click करें। सफलता पूर्वक Login करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा शुल्क जमा करने की निर्मांकित दो प्रक्रियाएँ हैं :-

(a) बैंक चालान के माध्यम से भुगतान : अगर अभ्यर्थी परीक्षा

10.5 यदि दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के कुल प्राप्तांक समान हों तो उनका मेधा क्रम निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा:

स्तर क्रम	पॉलिटेकनिक अभियंत्रण / पार्ट-टाइम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभि. पाठ्यक्रम (माध्यमिक स्तरीय)	पारा मेडिकल-डेंटल पाठ्यक्रम (माध्यमिक स्तरीय)	पारा मेडिकल पाठ्यक्रम (इंटरमीडिएट स्तरीय)
1. प्राप्तांकों का जोड़ समान होने पर	गणित खंड में कुल प्राप्तांक के अनुसार	जीव विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार	सामान्य विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार
2. स्तर (1) समान होने पर	भौतिक विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार	रसायन विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार	अंक गणितीय योग्यता खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार
3. स्तर (2) समान होने पर	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो

- 10.6 मेधा सूची/ परीक्षाफल तैयार करने में टंकण में या कम्प्यूटर से किसी प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

11. आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क :

- 11.1 आवेदन प्रपत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क : DCECE (PE/PPE/PMD/PM)-2016 में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका (Prospectus) पृष्ठ के उपरोक्त Website : www.bceceboard.com से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। Online आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी "Apply for DCECE (PE/PPE/PMD/PM)-2016" Link पर Click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्देश (Instruction) दिखेगा, जिसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

- (i) **Step - One (Registration) :** Registration (निबन्धन) के लिए सारी सूचनायें (Informations) Step-1 के अन्तर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन-प्रपत्र को सही-सही अभ्यर्थी को भरना होगा। उसके उपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर / रजिस्टर्ड email-ID पर अभ्यर्थी को Successful Registration का एक Message भेजा जायेगा जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा। अभ्यर्थी अपने प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा अपने द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये Password किसी को नहीं बतलाये अन्यथा बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड

शुल्क बैंक चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो "Print Challan" का बटन Click करें। ऐसा करने पर उन्हें बैंक चालान की तीन प्रतियाँ कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त होगी, जिनको वे Download कर लें। ये बैंक चालान की प्रतियाँ जो क्रमशः बैंक की प्रति, बोर्ड की प्रति एवं अभ्यर्थी की प्रति होगी, के प्रयोग से केनरा बैंक की किसी शाखा में निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा शुल्क के बैंक चालान के माध्यम से जमा करने हेतु आवश्यक विवरणी नीचे दिया गया है।

निर्धारित परीक्षा शुल्क केनरा बैंक में जमा करने के बाद अभ्यर्थी को केनरा बैंक से "Paid चालान" की बोर्ड प्रति एवं अभ्यर्थी की प्रति प्राप्त होगी। बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु रु. 60/- (साठ रुपये) की अतिरिक्त राशि का भुगतान अभ्यर्थी को करना होगा।

- (b) ऑन लाइन भुगतान : अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान Online करना चाहते हैं तो "Online Payment" Link को Click करें। तत्पश्चात् किसी भी बैंक के Net Banking / Debit Card / Credit Card जो वेबसाइट पर Listed है, के द्वारा Transaction Processing Charge एवं Service Tax के भुगतान के साथ अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

- (c) उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क भुगतान से सम्बन्धित

आवश्यक विवरणी निम्नवत् है :-

- (क) किसी एक पाठ्यक्रम-समूह के लिये : जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 550/- (पाँच सौ पचास) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 330/- (तीन सौ तीस) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
- (ख) किन्ही दो पाठ्यक्रम-समूहों के लिये : जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 660/- (छः सौ साठ) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 385/- (तीन सौ पचासी) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
- (ग) किन्ही तीन पाठ्यक्रम-समूहों के लिये : जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 770/- (सात सौ सत्तर) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 440/- (चार सौ चालीस) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
- (घ) सभी चार पाठ्यक्रम-समूहों के लिये : जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 880/- (आठ सौ अस्सी) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 500/- (पाँच सौ) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
- (iii) **Step - Three (Personal Information) :** सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद "Fill the Personal Information" link को Click करें और जैसा कि कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से सम्बन्धित Entries required है पूरी तरह भरें। उच्च कंट्रास्ट का रंगीन / श्वेत-श्याम पासपोर्ट साईज अपना फोटो एवं अपना हिन्दी एवं अंग्रेजी के हस्ताक्षर आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर Upload करें। फोटो Placard के साथ (जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि अंकित हो) खिचवाया हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। उपरोक्त रूप से Personal Information भरने के बाद Step-3 की प्रक्रिया पूरी करने हेतु Submit बटन को Click करें।
- (iv) **Step - Four (Educational Information) :** "Fill the Educational Information" link को Click करें और अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Information) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भरें। Educational Information भरने के बाद Submit बटन को Click करें ताकि Step-4 की प्रक्रिया पूरी हो जाये।
- नोट : (i) Stepwise Online Application Final Submit करने से पहले कम्प्यूटर स्क्रीन पर Preview Page को अच्छी तरह जाँच लें ताकि आप सुनिश्चित हो जायें कि आपके द्वारा भरी गयी

सारी प्रविष्टियाँ (Enteries) सही है। अगर अभ्यर्थी अपनी प्रविष्टियों में कोई सुधार / संशोधन अथवा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे Submission से पहले ऐसा कर सकते हैं। अगर सभी सूचनायें (Information) सही तरह प्रविष्ट (Enter) कर ली गयी हैं तभी अन्तिम रूप से प्रत्येक Step को Submit करने के लिए अपना Declaration देकर Submit करें।

- (ii) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जायेगा।
- (iii) सभी Step की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध Application Form के Part-A और Part-B का दो प्रतियों में Download कर निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखते हुए दूसरी प्रति नीचे लिखे अनुसार पर्षद कार्यालय भेंजे।
- (iv) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
4. (i) यदि अभ्यर्थी को Online Application Form भरने के उपरान्त पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में / फोटो / हस्ताक्षर Upload करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु Edit करने का मौका दिनांक 01.05.2016 से दिनांक 04.05.2016 तक दिया जायेगा।
- (ii) Online Application Form में सुधार (Edit) केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना Online Application Form पूर्ण रूप से भर लिया हो।
- (iii) अभ्यर्थी अपने Online Application Form में सुधार (Edit) करने हेतु अपने Registration No. एवं Password डालकर अपने Account में "Sign In" बटन पर Click कर Login In करें तथा आवश्यक सुधार कर Submit करें।
5. **Dispatch of Downloaded Application Forms, Enclosures and Paid Challan by Registered Post / Speed Post :** Online भरे गये Application Forms (Part-A और (Part-B) की Hard Copy जिसे अभ्यर्थी ने Download कर प्राप्त कर लिया है, को भेजने की प्रक्रिया निम्नांकित विधि से पूरी करें :-
- (a) पासपोर्ट साईज का वही फोटो जिसे अभ्यर्थी ने स्कैन कर Online भरा है उसे hard copy के निर्धारित स्थान पर चिपकायें।
- (b) निर्धारित स्थान पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर करें। अंग्रेजी के हस्ताक्षर में Capital Letters का प्रयोग वर्जित है।

- (c) यथास्थान जैसा कि **Application Form** के **Part-B** में **Printed** है अपनी ही हस्तलिपि में घोषणा (**Declaration**) को भरें ।
- (d) **Paid** बैंक चालान की बोर्ड कॉपी (मूल प्रति) **Application Form** के साथ **Attach** (नत्थी) करें ।
- (e) सभी वांछित प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों की छाया प्रतियों, जो आपके दावे को सम्पुष्ट करते हैं, को **Attach** करें ।
- (f) उपरोक्त विधि से तैयार एवं निर्दिष्ट अनुलग्नकों के साथ पूर्ण किये गये **Application Forms** को रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजने वाले लिफाफे के ऊपर "**Application for DCECE (PE/PPE/PMD/PM)-2016**" मोटे अक्षरों में लिख दें । साथ ही उसके नीचे जिस **Course Group** में नामांकन हेतु आवेदन दे रहे हों, उस **Course Group** (eg. **Course Group - PE**) का नाम **Bold Letter** में अवश्य लिखें ।
- (g) **Registered Post / Speed Post** से **Application Form** भेजने के लिये जो लिफाफा (**Envelope**) प्रयोग में लाया जायेगा उसका साईज **17 cm x 30 cm** एवं कलर पीला (**Yellow**) होना चाहिए ताकि उसे सम्बन्धित परीक्षा हेतु आसानी से पहचाना/ अलग किया जा सके।
- (h) एक लिफाफे में सिर्फ एक ही अभ्यर्थी का आवेदन (**Application**) होना चाहिए ।
- (i) आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) को सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ लिफाफे में रख कर, अच्छी तरह लिफाफे को चिपका दें और उसे निम्न पते पर भेजें
“Controller of Examination, B.C.E.C.E. Board, I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, P.O.- B.V.College, Patna - 800014 ।

नोट : हाथो-हाथ या कोरियर सेवा से Application Form प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है।

11.3 परीक्षा शुल्क एक बार स्वीकार कर लिये जाने पर स्वीकार की गई राशि किसी भी हालत में आवेदक/ क्रेता को नहीं लौटाई जायेगी ।

12. उपरोक्त कंडिका- 11 के अनुसार आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश :

12.1 परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम-समूह के विकल्प :

- (i) प्रत्येक आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जिन पाठ्यक्रम-समूहों के लिए परीक्षा देना चाहता है, और तदनुसार जिनके लिए उसने कंडिका 11 में उल्लिखित दर से परीक्षा शुल्क दिया है, उनका उल्लेख अपने आवेदनपत्र में विहित स्थान पर कर दे ।
- (ii) यदि कोई आवेदक एक या एक से अधिक या सभी पाठ्यक्रम समूहों के लिये अर्हतायें / वांछित योग्यतायें (देखें कंडिका 4/ 5/ 6/ 7) रखता है तो तदनुसार उसे उनमें से एक या एक से अधिक या सभी का उल्लेख अपने आवेदन पत्र के विहित


स्थानों में करने और तदनुसार कंडिका 11 में उल्लिखित दर से परीक्षा शुल्क देने का विकल्प उपलब्ध है ।

12.2

(क)

फोटोग्राफ :

आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) निर्दिष्ट स्थानों पर पासपोर्ट साईज (3.5 से.मी. x 4.5 से.मी.) श्याम-श्वेत, उच्च कंट्रास्ट के एक ही निगेटिव / स्नैप (**Snap**) से बना ऐसे फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से स्कैन कर लगायें / चिपकायें जो सामने से एक तख्ती (**Placard**) के साथ, जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, के साथ खिंचवाये गये हो (डिजिटल फोटो जो कुछ समय के बाद धूमिल अथवा विलुप्त हो जाती है, लगाना वर्जित है) । उदाहरण के लिए नीचे का चित्र देखें ;



फोटो निम्नलिखित स्थानों पर चिपकायें। फोटो की नहीं होनी चाहिए।

(ख)

प्रयोग में लाये गये फोटोग्राफ में दोनो कान नजर आने चाहिए। फोटोग्राफ अस्पष्ट (ओभर एक्सपोज्ड / अन्डर एक्सपोज्ड या डार्क) नहीं होने चाहिए और उनको खिंचवाते समय टोपी (कैप) एवं काला / रंगीन चश्मा (डार्क कलर्ड स्पैक्टैकिलस) नहीं लगा हो या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं हो , अन्यथा संबन्धित आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

(ग)

Downloaded आवेदन प्रपत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) पर निर्देश के अनुसार फोटो चिपकाने के बाद, आवेदक निर्धारित स्थान पर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में करें । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा स्वहस्तलिपि में लिखी गयी घोषणा के नीचे उनके पिता/ माता या अभिभावक की घोषणा के लिए उनका हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

12.3

नाम :

अपना नाम तथा पिता का नाम आवेदन पत्र तथा संलग्न प्रपत्रों के सभी निर्धारित स्थानों पर माध्यमिक परीक्षा समिति/ समकक्ष परीक्षा संस्था/ विश्वविद्यालय के रेकॉर्ड की वर्तनी (**spelling**) के अनुसार ही लिखें ।

12.4

पता :

पत्राचार/ स्थाई पता में पिन कोड नम्बर का व्यवहार जरूर करें। स्थायी पता वह होना चाहिए जो आवेदक के आवासीय

प्रमाण पत्र में उल्लिखित हो। पत्राचार का पता ऐसी जगह का हो कि आपके पास पत्र जल्द-से-जल्द पहुँच जाए। आवेदन पत्र / कम्प्यूटर प्रपत्र पर लिखे पते को बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। पत्राचार का पता गलत होने की स्थिति में पत्र के लौट आने पर परीक्षा पर्यट उत्तरदायी नहीं होगी। बाद में पत्राचार हेतु पता बदलने के सम्बन्ध में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

12.5 कोटि (Category) :

12.5.1 आरक्षण हेतु उचित कोटि में स्थान पाने के लिए आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उचित कोटि निम्नलिखित संकेत के अनुसार भरें :

कोटि (Category)	संकेत
i. General Category (वैसे आवेदक जो SC/ ST/ EBC/ BC में से किसी आरक्षण कोटि में दावा नहीं करते हों)	Gen
ii. Scheduled Caste	SC
iii. Scheduled Tribe	ST
iv. Extremely Backward Caste	EBC
v. Backward Caste	BC

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों द्वारा आरक्षण का लाभ लेने हेतु, अपने आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि को अंकित किया गया हो उसको सम्पुष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (अभिप्रमाणित प्रति या अभिप्रमाणित फोटो प्रति) संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा आरक्षित कोटि के लिए विचार नहीं किया जायेगा। इसे निर्धारित संलग्न प्रपत्र के अनुसार ही होना चाहिए।

12.5.2 आवेदक अपने आवेदनपत्र/ अन्य संलग्नकों में निर्धारित स्थान पर आरक्षण के दावे के लिए आरक्षण की जिस कोटि (category) को अंकित करेंगे और जिसके लिए निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे, वही कोटि परीक्षा एवं सीट/ संस्थान आवंटन प्रक्रिया हेतु अंतिम रूप से मान्य होगी। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई आवेदक अपने आवेदनपत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करता है अथवा निर्धारित स्थान पर आरक्षण कोटि अंकित नहीं करता है, तो उसे सामान्य (Gen) कोटि में समझा जायेगा। आवेदक की किसी गलती/ असावधानी के फलस्वरूप उसके किसी दावा के हनन होने का उत्तरदायित्व आवेदक का ही होगा। यदि आवेदन प्रपत्र, पार्ट-A एवं पार्ट-B में भिन्न-भिन्न कोटि अंकित होगा तो आवेदन प्रपत्र पार्ट-A में अंकित कोटि ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

12.6 सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) :

12.6.1 यदि आप कॅडिका 9 के अनुसार सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के लिये आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित स्थान पर 'Yes' भरें अन्यथा 'No' भरें।

12.6.2 यदि 'सैनिक कर्मचारी कोटा' के लिये निर्धारित स्थान में आपने 'Yes' भरा है और आप सैनिक कर्मचारी के पुत्र / पुत्री हैं तो निर्धारित स्थान पर सम्बन्ध अंकित करें।

12.7 शैक्षणिक अर्हतायें :

आवेदन पत्र पार्ट-A की कॅडिका 16 से 18 पर विवरण पुस्तिका की कॅडिका- 4.1, 5.1, 6.1 एवं 7.1 के अनुसार जो भी अर्हतायें आपके लिये लागू हों उनके लिये उत्तीर्ण परीक्षाओं का नाम तथा विषयवार प्राप्तांकों तथा प्रतिशत को भरें।

12.8 जन्म-तिथि :

जन्म-तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्रमवार तिथि, महीना तथा वर्ष अंग्रेजी अंकों में लिखें। जन्म-तिथि वही हो जो माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक परीक्षा) या समकक्ष दसवीं परीक्षा के लिए अभिलिखित हो।

12.9 लिंग (Sex) :

निम्नांकित के अनुसार निर्धारित स्थान में लिंग अंकित करें :

- Male (पुरुष)
- Female (महिला)

12.10 आवासीय विवरण :

आवेदनपत्र में उचित आवासीय विवरण भरें। इस डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि आवेदक आवासीय विवरण में उल्लिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प की पुष्टि करते हों (देखें कॅडिका 4.2 / 5.2 / 6.2 / 7.2)। इसके लिए निर्धारित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

12.11 घोषणा :

आवेदक के पिता / अभिभावक (यदि पिता जीवित न हों तो) तथा आवेदक के लिये निर्धारित अलग अलग घोषणा पत्र स्वहस्तलिपि में क्रमशः भरा एवं लिखा तथा हस्ताक्षरित होना चाहिये। आवेदक को अपनी घोषणा आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्वहस्तलिपि में लिखकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है अन्यथा उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

12.12 जिला कोड :

आवेदन पत्र के क्रमांक-15 में जिला का कोड निम्नलिखित के अनुसार भरें :

क्रमांक	जिला	कोड	क्रमांक	जिला	कोड
1.	पटना	01	20.	दरभंगा	20
2.	भोजपुर	02	21.	समस्तीपुर	21
3.	बक्सर	03	22.	मधुबनी	22
4.	रोहतास	04	23.	सहरसा	23

5. भभुआ	05	24. मधेपुरा	24
6. नालन्दा	06	25. सुपौल	25
7. गया	07	26. पूर्णिया	26
8. नवादा	08	27. कटिहार	27
9. औरंगाबाद	09	28. किशनगंज	28
10. जहानाबाद	10	29. अररिया	29
11. सारण	11	30. भागलपुर	30
12. सिवान	12	31. बांका	31
13. गोपालगंज	13	32. मुंगेर	32
14. वैशाली	14	33. बेगुसराय	33
15. मुजफ्फरपुर	15	34. खगड़िया	34
16. सीतामढ़ी	16	35. जमुई	35
17. शिवहर	17	36. लखीसराय	36
18. पूर्वी चम्पारण	18	37. शेखपुरा	37
19. पश्चिमी चम्पारण	19	38. अरवल	38
		39. बिहार के बाहर	39
		अन्य सभी स्थान ।	

उपरोक्त जिलों के कोड मे से उचित कोड क्रमांक-15 के निर्धारित स्थान पर भरें। उचित कोड उसी जिले का होगा जिसमें वह स्कूल / कॉलेज / संस्थान अवस्थित है, जहाँ से आवेदक ने शैक्षणिक अर्हता प्राप्त की हो।

12.13 जाति प्रमाण पत्र :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर उसकी छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। संलग्न जाति प्रमाण पत्र में प्रमाणित जाति आवेदक के मूल आवेदन पत्र एवं कम्प्यूटर फार्म में अंकित आरक्षण कोटि के लिए सुसंगत होना चाहिए।

12.14

निबन्धित डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया आवेदनपत्र ही स्वीकार किया जायेगा। कार्यालय में हाथों-हाथ या कुरियर सेवा द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12.15 आवेदन पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि :

आवेदन पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि 16.05.2016 के 5.00 बजे अपराह्न तक है। इस तिथि और समय के बाद जो आवेदन पत्र बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय में पहुँचेगा उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। डाक की गड़बड़ी के कारण निर्धारित तिथि के बाद विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र के अस्वीकार किये जाने के लिए बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र भरने से संबंधित विशेष सूचना :

आवेदन पत्र पार्ट-A एवं पार्ट-B में अंकित की गई सूचनाओं में यदि साम्य नहीं होगा तो आवेदन प्रपत्र पार्ट-A में अंकित की गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

14. डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रक्रिया :

14.1 प्रवेश पत्र :

(क) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के बाद उपयुक्त पाये गये

आवेदकों के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर्थद के Website: www.bceceboard.com से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है, जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्य (valid) होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह उसकी पीठ पर लिखे निर्देश अवश्य पढ़ लें।

(ख) इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-7 में दिये गये प्रपत्र (Format) पर अभ्यर्थी अपने ऑन लाइन भरे गये आवेदन पत्र पर लगाये गये अपने फोटो की बड़ी पोस्ट कार्ड साई फोटो प्रति यथा स्थान चिपकाने तथा उसे सही-सही भर कर एवं उस पर यथा स्थान अपना हस्ताक्षर कर प्रतियोगिता परीक्षा के समय परीक्षा कक्ष में निश्चित रूप से ले जायें और वीक्षक (Invigilator) के पास अवश्य जमा करेंगे।

(ग) प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रवेश पत्र (Admit Card) को पाते ही उसमें अंकित सभी सूचनाओं / प्रविष्टियों की पूरी जाँच कर लें और उनमें यदि कोई त्रुटि हो तो परीक्षा नियंत्रक, बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना में परीक्षा की तिथि से 5 (पाँच) दिन पहले तक किसी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच आकर अनिवार्य रूप से वांछित संशोधन हेतु सम्पर्क करें, अन्यथा इस तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं किया जायेगा और प्रवेश पत्र (Admit Card) किसी प्रकार की त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

प्रवेश पत्र पर परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पूरा हस्ताक्षर करना आवश्यक है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर हर पाली में वीक्षक के समक्ष, परीक्षा केन्द्र की प्रति पर भी होना आवश्यक है।

14.2

परीक्षा केन्द्र :

परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उनके प्रवेश पत्र पर अंकित रहेगा। परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। किसी भी हालत में निर्धारित परीक्षा केन्द्र को बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

15.

15.1

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त: साक्षात्कार / काऊंसिलिंग :

(i)

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त संबंधित मेधा सूची के अनुसार आवेदकों को काऊंसिलिंग सम्बन्धित सूचना उचित समय पर डाक द्वारा या बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के वेब साइट " www.bceceboard.com " पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जायेगी। मेधा-सह-विकल्प के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके मेधाक्रम पर उपलब्ध संस्थान / पाठ्यक्रम में से स्वेच्छानुसार संस्थान / पाठ्यक्रम के चयन का अवसर दिया जायेगा। काऊंसिलिंग Online अथवा Offline निर्णयानुसार सम्पन्न किया जायेगा।

(ii)

चयनोपरान्त आवंटन आदेश उपलब्ध रिक्तियों एवं बिहार सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नियम के अनुसार निर्गत किया जायेगा (देखें कडिका 9)। आरक्षित वर्ग में नामांकन हेतु प्रत्येक संस्थान को एक इकाई माना जायेगा।

(iii)

प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी

पहचान (Identity) की छान-बीन एवं जाँच के पश्चात अन्तिम रूप से योग्य पाये गये सभी अभ्यर्थियों को आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि तक डॉक्टरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर निश्चित रूप से चयनित संस्थान / पाठ्यक्रम में नामांकन करा लेना होगा ।

- (iv) परीक्षाफल / मेधासूची की तैयारी एवं प्रकाशन के दौरान छपाई में किसी प्रकार की भूल के आधार पर उम्मीदवार नामांकन हेतु आवंटन के लिये हकदार नहीं होंगे ।

15.2 नामांकन शुल्क :

चयनित आवेदकों को नामांकन के समय कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी, इसकी यथासम्भव जानकारी साक्षात्कार पत्र में दे दी जायेगी ।

15.3 उत्तर प्रपत्रों/ उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation), दुबारा जोड़ (Retotalling) आदि के लिए आवेदन नहीं लिये जायेंगे और न कोई संबंधित पत्राचार ही स्वीकार्य होगा ।

15.4(क) जो आवेदक अपने मूल आवेदन पत्र/ प्रपत्रों में या परीक्षा के समय उत्तर पत्रक / उत्तर-पुस्तिका में या प्रतियोगिता परीक्षा/ नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में असत्य विवरण / सूचना देंगे या अनुचित तरीके अपनाते पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनको परीक्षा/ नामांकन हेतु आवंटन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है ।

- (ख) यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त होने अथवा Impersonation का दोषी पाया जाता है या परीक्षा कक्ष में मोबाईल / इलेक्ट्रॉनिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़ा जाता है तो नामांकन हेतु उसकी / उनकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी और उसके / उनके विरुद्ध वैधिक कार्रवाई के साथ उसे / उन्हें अगले तीन वर्षों तक पर्यटन द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित (Debar) कर दिया जायेगा ।

15.5 ए.एन.एम पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों (केवल महिलाएँ) हेतु निर्देश :-

- (i) स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 435(6) दिनांक 10.06.1996 के अनुसार ए.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के 6 महीने के अन्दर यदि सरकार समायोजित करती है तो उन्हें कम से कम पाँच वर्ष तक बिहार सरकार की सेवा करने का शर्तनामा देना होगा, अन्यथा ऐसे उम्मीदवारों से पाठ्यक्रम के दौरान हुए सरकारी खर्च सूद समेत वसूल किये जायेंगे। “स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-508 (प.नि., पी.एम.सी.) दिनांक 11.02.2012 के अनुसार न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण हैं।”
- (ii) चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये । प्रशिक्षणार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य जाँच प्रत्येक वर्ष की जायेगी तथा उसका अभिलेख संधारित किया जायेगा ।
- (iii) आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों को संक्रामक बीमारियों के

प्रशिक्षण में भी भेजा जा सकता है ।

- (iv) प्रशिक्षण अवधि में निम्नांकित अवकाश देय होगा -
 (क) वार्षिक अवकाश - 30 (तीस) दिन ।
 (ख) आकस्मिक अवकाश (एक वर्ष में) 10 दिन जो दूसरे वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा (ले जाया जायगा) ।
 (ग) परीक्षा की तैयारी के लिये अवकाश-7 (सात) दिन ।
- (v) वैसे प्रशिक्षणार्थी जो किसी लम्बी बीमारी या संक्रामक रोग के कारण प्रशिक्षण से वंचित रह गये हो तो उन उम्मीदवारों को पुनः प्रशिक्षण की अनुमति संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक / सिविल सर्जन द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के उपरान्त ही दिया जायगा ।
- (vi) D.C.E.C.E.- (P.E./P.P.E./P.M.D./P.M)-2016 के आधार पर ए.एन.एम. पाठ्यक्रम में सफल महिला उम्मीदवार अगर गर्भवती हो तो उसका नामांकन तो हो सकेगा लेकिन तत्काल वह प्रशिक्षण के योग्य नहीं मानी जायेगी । ऐसी उम्मीदवार गर्भावस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित अधीक्षक/ प्राचार्य / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चि. पदाधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् से योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य मानी जायगी। ऐसी उम्मीदवारों को परीक्षा में तभी सम्मिलित होने दिया जायगा; जब वे उपरोक्त अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगी । यह नियम उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो प्रशिक्षण के दौरान भी गर्भवती होंगी।
- (vii) प्रशिक्षण की अवधि में सभी महिला प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास में ही रहना होगा ।
- (viii) सरकार के आदेशानुसार नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।
- 15.6 स्टाफ ग्रेड-ए नर्सिंग पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों (केवल महिलाएँ) हेतु निर्देश :-
- (i) स्वा. विभागीय संकल्प संख्या 435(6) दिनांक 10.06.1996 के अनुसार जी.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम पूरा करने के 6 महीने के अन्दर यदि सरकार समायोजित करती है तो उन्हें कम से कम पाँच वर्ष तक बिहार सरकार की सेवा करने का शर्तनामा देना होगा, अन्यथा ऐसे उम्मीदवारों से पाठ्यक्रम के दौरान हुए सरकारी खर्च सूद समेत वसूल किये जायेंगे ।
- (ii) चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये । प्रशिक्षणार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य जाँच प्रत्येक वर्ष की जायेगी तथा उसका अभिलेख संधारित किया जायेगा ।
- (iii) आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों को संक्रामक बीमारियों विषयक प्रशिक्षण में भी भेजा जा सकता है ।
- (iv) प्रशिक्षण अवधि में निम्नांकित अवकाश देय होगा -
 (क) वार्षिक अवकाश - 30 (तीस) दिन ।
 (ख) आकस्मिक अवकाश (एक वर्ष में) 10 दिन जो दूसरे वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा (ले जाया जायगा) ।
 (ग) परीक्षा की तैयारी के लिये अवकाश-7 (सात) दिन ।

- (v) जैसे प्रशिक्षणार्थी जो किसी लम्बी बीमारी या संक्रामक रोग के कारण प्रशिक्षण से वंचित रह गये हों, उन्हें पुनः प्रशिक्षण की अनुमति संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक / सिविल सर्जन द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के उपरान्त ही दी जायेगी।
- (vi) D.C.E.C.E.–(P.E./P.P.E./P.M.D./P.M.)-2016 के आधार पर स्टाफ ग्रेड-ए नर्सिंग पाठ्यक्रम में सफल महिला उम्मीदवार अगर गर्भवती हो तो उसका नामांकन तो हो सकेगा लेकिन तत्काल वह प्रशिक्षण के योग्य नहीं मानी जायेगी। ऐसी उम्मीदवार गर्भावस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्यलाभ-प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित अधीक्षक/ प्राचार्य / असेनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चि. पदाधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् से योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य मानी जायेगी। ऐसी उम्मीदवारों को परीक्षा में तभी सम्मिलित होने दिया जायेगा जब वे उपरोक्त अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगी। यह नियम उन सभी उम्मीदवारों पर भी लागू होगा जो प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती हों।
- (vii) प्रशिक्षण की अवधि में सभी महिला प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास में ही रहना होगा।
- (viii) सरकार के आदेशानुसार नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- 15.7** बिहार एवं उड़ीसा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कानून 1935 के अधीन स्वा.चि. शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 961(6) दिनांक 14.07.1997 में नर्सिंग प्रशिक्षण मान्यता, सम्बद्धता प्राप्त गैर सरकारी नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालयों में मेधा-सह-इच्छा के अनुसार पचास प्रतिशत सीटों को D.C.E.C.E.–(P.E./P.P.E./P.M.D./P.M.)-2016 के परीक्षाफल के आधार पर चयनित उम्मीदवारों से भरा जायेगा। मान्यताप्राप्त गैर सरकारी नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालय के नाम तथा उसमें कोटिवार सीटों की संख्या की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर परीक्षाफल प्रकाशन एवं उम्मीदवारों का चयन नियमानुसार किया जायेगा। उपरोक्त सीटों पर चयन के लिये कंडिका 8 के अनुसार ही सरकार के आरक्षण नियम का अनुपालन किया जायेगा। लेकिन इन सीटों के विरुद्ध नामांकन सरकारी एवं सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थानों के बीच नीतिगत निर्णय होने के पश्चात ही हो सकेगा अन्यथा नहीं। इन संस्थानों में नामांकन के लिए इच्छुक उम्मीदवार को नियमित प्रशिक्षण शुल्क भी देना होगा।
- 16.** अन्य आवश्यक सूचनाएँ :
- 16.1** परीक्षा-संबंधी सभी कार्य एवं मेधा सूची इत्यादि का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा। पर्षद द्वारा परीक्षा-संबंधी सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।
- 16.2** इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।
- 16.3** बिहार सरकार / बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को इस विवरण पुस्तिका में सम्मिलित नियमों / प्रावधानों / सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। संशोधित / परिवर्तित किये गये नियमों/ प्रावधानों / सूचनाओं से संबंधित जानकारी आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या उसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा। साक्षात्कार / काऊंसेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थी को इस विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में दर्ज सभी प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ तथा प्रवेश पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें से एक भी वॉछित मूल प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसे नामांकन से वंचित किया जा सकता है।
- 16.4(i)** कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद (Case) के अंतिम निर्णय होने तक आवेदक को नामांकन / प्रशिक्षण से वंचित रखा जायेगा और बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के पक्ष में निर्णय होने पर उम्मीदवार पर हुये सभी खर्च ब्याज के साथ उम्मीदवार से वसूल किया जा सकता है।
- (ii) विद्यालय/ महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र(School/ College Leaving Certificate) नामांकन के समय लाना पड़ेगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / बिहार इंटरमीडिएट कौंसिल के अलावे किसी अन्य संस्थान से पात्रता-परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उसे काऊंसेलिंग की तिथि से दो महीनों के अन्दर प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- (iv) परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा पूर्व / परीक्षा की अवधि / परीक्षा उपरांत निर्गत सभी निर्देश, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित सूचना / नियम एवं संलग्न अनुसूची / सारिणी इस विवरण पुस्तिका के ही भाग होंगे।
- 16.5(i)** उत्तर पत्रक पर अंकित गद्यांश को परीक्षार्थी द्वारा अपनी हस्तलिपि में निर्धारित स्थान पर पूर्ण रूप से लिख कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- 16.6** मेधा सूचियों में सम्मिलित आवेदकों को समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से और / या पत्रों द्वारा आवश्यक सूचनायें दी जाती रहेंगी। उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र अपनी ओर से कृपया न लिखें क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।
- 16.7** नामांकन-प्रक्रिया-समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम/ ब्रांच में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी।
- 16.8** D.C.E.C.E. (P.E./P.P.E./P.M.D./P.M.)-2016 की विवरण पुस्तिका/ आवेदन पत्र/ अन्य प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है।
- 16.9** परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत हो जाने से ही नामांकन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगर यह पता चलता है कि किसी अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता नहीं है या इसमें ऐसी अयोग्यता पायी जाती है जिस कारण नामांकन हेतु उसकी पात्रता की पुष्टि नहीं होती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- 16.10** मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्च से स्वयं काऊंसेलिंग / इंटरव्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित

होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे ।

- 16.11** नामांकन प्रक्रिया समाप्त के बाद जो आवेदक अंक पत्र लेने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अनुरोध करेंगे उन्हें डाक द्वारा परीक्षा के अंक-पत्र भेजने की प्रक्रिया की जायेगी ।
- 16.12** अगर कोई अभ्यर्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा-सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, कदाचार में लिप्त होने अथवा इम्प्रसोनेशन का दोषी पाया जाता है तो नामांकन हेतु उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी ।
- 16.13** इस परीक्षा के लिए यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।
- 16.14** स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा पारा मेडिकल डेंटल (PMD) एवं पारा मेडिकल (PM) पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित यदि कोई परिवर्तन / संशोधन / प्रावधान / दिशा निर्देश विधिवत संसूचित किया जाता है तो वह डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2016 की विवरण पुस्तिका में समावेशित समझा जायेगा और उसकी सूचना विज्ञापन द्वारा कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के पूर्व / समय दे दी जायेगी ।
- 16.15** इस प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन तथा आवेदन से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और मान्य होंगे । बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिये परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे ।

परिशिष्ट- 1

सारणी 1.1 :- त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की विवरणी ।

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	शाखा का नाम	सीटों की संख्या		अतिरिक्त सीटें
			कुल सीटें	सैनिक कोटा (कुल सीटों में सम्मिलित)	
1	2	3	4	5	6
1.	नवीन राजकीय पोलिटिकल, पटना-13	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण (ऑटोमोबाईल)	30	1	2
		कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
2.	राजकीय पोलिटिकल, पटना-7	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		केमिकल इंजि.(सिरामिक्स अभियंत्रण)	30	1	2
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		टेक्सटाईल इंजी.	30	1	2
		मेकेनिकल इंजि. (प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी)	30	1	1
		कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
3.	राजकीय पोलिटिकल, मुजफ्फरपुर	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
4.	राजकीय पोलिटिकल, भागलपुर	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		कृषि अभियंत्रण	30	1	2
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		टेक्सटाईल अभियंत्रण	30	1	1
5.	राजकीय पोलिटिकल, सहरसा	कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
6.	राजकीय पोलिटिकल, गया	कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
7.	राजकीय पोलिटिकल, दरभंगा	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्युटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3

शेष अगले पृष्ठ पर.....

8.	राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		केमिकल अभियंत्रण	30	1	1
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्युटर साइंस एंड अभियंत्रण	60	1	3
9.	राजकीय पोलिटेकनिक, पूर्णिया	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
10.	राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा	कम्प्युटर साइंस एंड अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		मेकेनिकल अभि.(ऑटोमोबाइल अभि.)	60	1	3
11.	राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज	विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्युटर साइंस एंड अभियंत्रण	30	1	2
		असैनिक अभियंत्रण (रुरल अभि.)	60	1	3
12.	राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार	विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
13.	राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली	विद्युत अभियंत्रण	60	1	0
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	0
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	0
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	0
14.	राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय	विद्युत अभियंत्रण	60	1	0
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	0
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	0
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	0
15.	राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी-ऑन-सोन	विद्युत अभियंत्रण	60	1	0
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	0
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	0
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	0
16.	राजकीय पोलिटेकनिक, नालंदा	विद्युत अभियंत्रण	60	1	0
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	0
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	0
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	0
17.	राजकीय पोलिटेकनिक, शीवहर	विद्युत अभियंत्रण	60	1	0
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	0
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	0
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	0

18.	राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी	यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	0
		इलेक्ट्रॉनिकस अभियंत्रण	60	1	0
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	0
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	0
19.	राजकीय पोलिटेकनिक, मधुबनी	यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	0
		इलेक्ट्रॉनिकस अभियंत्रण	60	1	0
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	0
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	0
20.	बी.के.पी. संस्थान, सीतामढ़ी	यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	0
		इलेक्ट्रॉनिकस अभियंत्रण	60	1	0
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	0
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	0
21.	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना-14 । (केवल महिलाओं के लिए)	कम्प्युटर साइंस एंड अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिकस अभियंत्रण	60	1	3
		मैनेजमेंट टेक. (मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस)	30	1	-
		मैनेजमेंट टेक. (लाइब्रेरी एवं इन्फोरमेशन साइंस)	30	1	-
22.	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर । (केवल महिलाओं के लिए)	इलेक्ट्रॉनिकस अभियंत्रण	30	1	2
		कम्प्युटर साइंस एंड अभियंत्रण	30	1	2
		मैनेजमेंट टेक. (मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस)	30	1	-
		मैनेजमेंट टेक. (लाइब्रेरी एवं इन्फोरमेशन साइंस)	30	1	-
		टेक्सटाईल टेक.(कस्ट्युम डिजाईन एण्ड गा.मे.)	30	1	-

(सरकारी संस्थानों की सीटें) कुल 5910

194

- नोट :**
- i. संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काऊन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - ii. विकलांग कोटा की सीटें विकलांगों के लिये प्रत्येक संस्थानों की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं ।
 - iii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभाग से प्राप्त होने के बाद काऊन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।
 - iv. उपरोक्त सीटें अभातशिप से अनुमोदन की प्रत्याशा में औपबन्धिक रूप से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा भेजी गयी हैं।
 - v. सैनिक कर्मचारी कोटा की आरक्षित सीटों पर, जो सम्बन्धित पाठ्यक्रम की कुल सीटों में सम्मिलित है, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर ही नामांकन निर्देशानुसार हो सकेगा ।
 - vi. परिशिष्ट-1 के कॉलम-6 में दर्शायी गयी अतिरिक्त सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है जिनके माता-पिता (जीवित नहीं होने पर अभिभावक) की वार्षिक आय रु. 4.50 (चार लाख पचास हजार रुपये) से कम है ।
-

सारणी 1.2 :- पार्ट टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकल अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की विवरणी :

क्र.सं.	संस्थान का नाम	शाखा का नाम	सीटों की संख्या
1	2	3	4
1.	नवीन राजकीय पोलिटिकल, पटना-13	असैनिक अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	30 30 30 30
कुल सीट :-			120

- नोट :**
- संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काऊन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - विकलांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
 - संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काऊन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
 - उपरोक्त सीटें अभातशिप से अनुमोदन की प्रत्याशा में औपबन्धिक रूप से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा भेजी गयी हैं।
 - परिशिष्ट-1 के कॉलम-6 में दर्शायी गयी अतिरिक्त सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है जिनके माता-पिता (जीवित नहीं होने पर अभिभावक) की वार्षिक आय रु. 4.50 (चार लाख पचास हजार रुपये) से कम है।

परिशिष्ट - 2

पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय)

सारणी 2.1 :- पारा मेडिकल-डेन्टल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम के सीटों की विवरणी (सत्र- 2015 के आधार पर):

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

क्र.सं. पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान का नाम	सीटों की संख्या कुल स्वीकृत सीट
1	2	3
1.	Dresser	5
	Suptd. MJK Sadar Hospital, Bettiah	5
	Under Civil Surgeon :	
	Patna	5
	Gaya	5
	Bhojpur (Arrah)	5
	Bhagalpur	5
	Munger	5
	Purnea	5
	Saharsa	5
	Muzaffarpur	5
	Darbhanga	5
	Saran (Chapra)	5
	Madhepura	5
Total Seats		60

- नोट :**
- i. संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - ii. विकलांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं ।
 - iii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों के पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।

परिशिष्ट - 3**Para Medical (Intermediate Level)***** Non-government Recognised Institution**

सारणी 3.1A : पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत गैर सरकारी संस्थानों की सीटों की विवरणी:

* To be announced after final agreement is made between the State Government and Non-government recognised Institutions' authorities. Admissions will be taken only after final decision of the State Government.

N.B. :- The State Government may change the figures shown in charts, as and when required.

- नोट :** i. संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय संसूचित कर दिया जायेगा।
ii. विकलांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
iii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों के पूर्ण वितरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।

पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.1B : पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए ए.एन.एम. पाठ्यक्रम के सीटों की विवरणी :

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

(सत्र- 2015 के आधार पर)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान का नाम	सीटों की संख्या
1	2	3	4
1.	Nursing	A.N.M. School, Bhojpur	90
2.	Nursing	A.N.M. School, Bihar Sharif	100
3.	Nursing	A.N.M. School, Barh	50
4.	Nursing	A.N.M. School, Purnea	50
5.	Nursing	A.N.M. School, Kishanganj	50
6.	Nursing	A.N.M. School, Begusarai	50
7.	Nursing	A.N.M. School, Madhubani	90
8.	Nursing	A.N.M. School, Hazipur, Vaishali	50
9.	Nursing	A.N.M. School, Sitamarhi	50
10.	Nursing	A.N.M. School, Motihari	90
11.	Nursing	A.N.M. School, Bettiah	70
12.	Nursing	A.N.M. School, Chapra (Saran)	90
13.	Nursing	A.N.M. School, Katihar	50
14.	Nursing	L.H.V.. School, Patna City	120
15.	Nursing	A.N.M. School, Hathwa, Gopalganj	30
16.	Nursing	A.N.M. School, Saharsa	50
17.	Nursing	A.N.M. School, Muzaffarpur	90
18.	Nursing	A.N.M. School, Bhagalpur	100
19.	Nursing	A.N.M. School, Samastipur	50
20.	Nursing	A.N.M. School (Ledi Angiln Hospital), Gaya	140
21.	Nursing	A.N.M. School, Munger	30
TOTAL		-----	1490

- नोट :** i. संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
ii. विकलांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
iii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
iv. भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी।

परिशिष्ट - 3

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.1 C : पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड 'ए' नर्सिंग पाठ्यक्रम के सीटों की विवरणी (सत्र- 2015 के आधार पर) :
(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान का नाम	सीटों की संख्या
1	2	3	4
1.	Grade 'A' Nurse	GNM Training School, PMCH, Patna	66
		GNM Training School, NMCH, Patna	66
		GNM Training School, DMCH, Darbhanga	50
		GNM Training School, SKMCH, Muzaffarpur	66
		GNM Training School, ANMMCH, Gaya	45
		GNM Training School, JLNMC, Bhagalpur	83
Total Seats			376

- नोट :**
- i. संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - ii. विकलांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं ।
 - iii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।
 - iv. भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी ।

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.2 :- पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत सीटों की विवरणी :

(सत्र- 2015 के आधार पर)

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

क्र.सं. पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान का नाम	सीटों की संख्या कुल स्वीकृत सीट
1	2	3
1. Ophthalmic Assistant	P.M.C.H., Patna	30
	D.M.C.H., Laheriasarai	30
	N.M.C.H., Patna	10
	S.K.M.C.H., Muzaffarpur	10
	J.L.N.M.C.H., Bhagalpur	10
	A.N.M.M.C.H., Gaya	10
2. Laboratory Technician	P.H.I., Patna	50
	P.M.C.H., Patna	25
	D.M.C.H., Laheriasarai	20
	N.M.C.H., Patna	15
	S.K.M.C.H., Muzaffarpur	15
	J.L.N.M.C.H., Bhagalpur	15
	A.N.M.M.C.H., Gaya	15
3. X'Ray Technician	P.M.C.H., Patna	15
	D.M.C.H., Laheriasarai	15
	N.M.C.H., Patna	10
	S.K.M.C.H., Muzaffarpur	10
	J.L.N.M.C.H., Bhagalpur	10
	A.N.M.M.C.H., Gaya	10
4. O.T. Assistant	P.M.C.H., Patna	15
	D.M.C.H., Laheriasarai	15
	N.M.C.H., Patna	10
	S.K.M.C.H., Muzaffarpur	10
	J.L.N.M.C.H., Bhagalpur	10
	A.N.M.M.C.H., Gaya	10

शेष अगले पृष्ठ पर.....

1	2	3	4
5.	# Diploma in Pharmacy	Pharmacy Institute, Patna	60
6.	Sanitary Inspector	P.H.I., Patna	40
7.	Dental Hygienist	Patna Dental College, Patna	10
8.	Dental Mechanics	Patna Dental College, Patna	10
Total Seats			515

- नोट :**
- i. संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काऊन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - ii. विकलांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं ।
 - iii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काऊन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।

Guidelines for Admission in Degree Courses in Medical Profession against Disabled Quota

In view of the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in C.A. No. 6120/2001 dated 18 Sept., 2002 and with reference to the Medical Council of India letter no. 34(1)/2003-MED/11773 the guidelines for the admission of physically handicapped candidates against 3% reserved seats under Disabled Quota in Medical / Dental / Ayurvedic / Tibbi / Homeopathic / Physiotherapy and Para Medical institution of Bihar are as under:

1. (a) Persons with only locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% but otherwise medically fit and having upper limbs fully functional and normal are allowed the benefit of reservation under the disability Act, 1995 for admission against 3% seats of the annual sanctioned intake capacity under Disabled Quota seats to MBBS/ BDS/ PG Medical and other professional medical courses.

Provided that in case any seat in this 3% quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotors disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat in this 3% quota shall be filled up by persons with locomotors disability of lower limbs between 40% to 50% before they are included in annual sanctioned seats for General Category candidates.

(b) The eligibility Criteria for admissions to persons with locomotors disability of lower limbs will be minimum of 45% marks instead of 50% taken together in qualifying Examination and Competitive Entrance Examination for admission in MBBS course.

2. The visually handicapped and hearing disabled persons are considered invalid and thus ineligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses against Disabled Quota seats.

3. The candidates having locomotory disability involving upper limbs are not eligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses.

4. For availing the benefits of reservation in Disabled Quota, the locomotory disabled candidates with disabilities involving the lower limbs must fulfil the following criteria/ guidelines :-

(a) If the locomotory disability involves only one lower limb, it should not be less than 50% and should not exceed 70%.

(b) If the locomotory disability involves both the lower limbs, the total disability should not exceed 70% with a minimum of 50%.

(c) The disability certificate should be produced by a duly constituted and authorised medical board by the Government of Bihar.

(d) The candidate should have minimum eligibility criteria as per Medical Council of India guidelines and should be otherwise medically fit.

5. The provision of this reservation will be applicable in government as well as non-government aided institutions.

6. The candidates, who are aspiring to get seats under Disabled Quota, should apply expressing their claims for the same along with the valid disability certificate.

7. The candidate, seeking the benefit for reservation under Disabled Quota, should present him/herself before a medical board comprising of atleast one expert / specialist from the speciality of orthopaedics from state medical board in the state of Bihar and obtain a valid disability certificate from the medical board by claiming the benefit of reservation.

8. The disability certificate of the candidate from a medical board shall (i) Give a permanent disability certificate where there are no chances of variation in the degree of disability (ii) Indicate the period of validity in the certificate, in cases where there is any chance of variation in the degree of disability.

9. In case, there are not enough number of Candidates, who qualify themselves for admission against reserved seats under Disabled Quota of any category, the consequent vacant seats should be merged with the seats of respective category.

Note : The above mentioned guidelines are subject to latest directions of Medical Council of India issued from time to time.

परिशिष्ट-4 (ii)

विकलांग कोटा की अर्हता / योग्यता

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक- वि.प्रा.(II) छात्र-05/2005/420 दिनांक 15.02.2010 के अनुसार तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका :

1. कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 967 दिनांक 13.05.2010 में वर्णित प्राधिकृत मेडिकल ऑफिसर / बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो कॉउन्सेलिंग के समय उन्हें चिकित्सकीय जाँच करानी होगी जिसके लिए विहित शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा ।
2. प्राधिकृत मेडिकल ऑफिसर / बोर्ड के सत्यापन के बाद मेधा-सह-विकल्प के आधार पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 966 दिनांक 13.05.2010 के अनुसार 3 % सीट आरक्षण के विरुद्ध, उनकी निःशक्तता के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम (अभियंत्रण धारा) का निर्धारण विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के उपरोक्त पत्र के आलोक में गठित समिति के द्वारा की जायेगी ।
3. विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों एवं पाठ्यक्रम के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र विक्रय तिथि तक लागू निदेशों का पालन किया जायेगा ।
4. उपरोक्त परिशिष्ट-5 (II) के लिये विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति से अभिप्रेत है प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति । [भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II खंड-1 अध्याय-1 का 1(टी)]

परिशिष्ट-4 (iii)

सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत पॉलिटिकल संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण

बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

वि० प्रा० (II) छात्र /02/2008/ 1647

पटना, दिनांक 08.06.2010

विषय :- सैनिक कोटा के अधीन राज्य के अभियंत्रण तथा पॉलिटिकल संस्थानों में नामांकन हेतु स्थान आरक्षित करने के संबंध में ।

बिहार सरकार, औद्योगिक एवं सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-4182 दिनांक-02, अगस्त 1960 के द्वारा सैनिक कोटा के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय के सिविल तथा मेकेनिकल पाठ्यक्रम प्रत्येक में एक-एक स्थान एवं पटना पॉलिटिकल में एक स्थान में नामांकन हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था । साथ ही, गृह विभाग (सैनिक पुनर्वास निदेशालय) के पत्र सं० 412, दि० 18.2.1985 द्वारा भी कार्यरत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन में स्थान आरक्षित किया गया था । इन प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में सेवारत सैनिक कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/ अविवाहित पुत्रियों / आश्रित सहोदर भाइयों / आश्रित अविवाहित सहोदर बहनों / आश्रित भतीजा तथा भतीजियों के लिए प्रत्येक अभियंत्रण/पॉलिटिकल संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त एक-एक सीट पर मेधा के आधार पर प्रवेश लिया जाता रहा है ।

2. उपर्युक्त प्रासंगिक संकल्प के संशोधन का मामला निम्न कारणों से राज्य सरकार के विचाराधीन था:-

(i) सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निदेश में भूतपूर्व / कार्यरत सैनिकों के आश्रितों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मात्र उनके बच्चों हेतु स्थान आरक्षित किये जाने का उल्लेख है । इसके अलावा प्रासंगिक संकल्प में अभियंत्रण महाविद्यालय / पॉलिटिकल संस्थानों में मात्र भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है ।

(ii) संकल्प संख्या-4182 दिनांक 02 अगस्त 1960 की निर्गत होने की तिथि के बाद से राज्य में तकनीकी संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा उक्त संकल्प में सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के मामले में सभी पाठ्यक्रम तथा पॉलिटिकल संस्थान के मामले में सभी पॉलिटिकल संस्थानों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों का उल्लेख नहीं था ।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन के रूप में कार्यरत है तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सीट पर नामांकन की वैधता नहीं है ।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-456 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 50 प्रतिशत सीट ही आरक्षित किये जाने का प्रावधान है ।

3. तदनुसार, कार्यरत / भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए राज्य के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पॉलिटिकल संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिया है:-

(i) सैनिक कोटा के अधीन राज्य के राजकीय अभियंत्रण तथा पॉलिटिकल संस्थानों में कार्यरत/ भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों का ही नामांकन होगा बशर्ते बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में वे सफल घोषित किये गये हों ।

(ii) कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र / पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्री पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्र-पुत्री होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अंतर्गत एक-एक सीट सैनिक कोटा के लिए आरक्षित होगा । सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित / अनारक्षित कोटि से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी । अर्थात्, यह आरक्षण क्षैतिज रूप में लागू होगा ।

(iv) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम, 16/2003) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में नामांकन आदि की कार्रवाई की जाती रहेगी ।

(v) उपर्युक्त प्रावधान सत्र 2010-11 के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से लागू होंगे ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

परिशिष्ट-5

डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के लिये जिस OMR उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर अभ्यर्थियों को उत्तर देना है, उसकी जाँच इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। OMR उत्तर पत्रक भरने का तरीका तथा सम्बन्धित निर्देश पृष्ठ 30 पर और OMR उत्तर पत्रक का नमूना पृष्ठ 29 पर दिया जा रहा है ;

1. OMR उत्तर पत्रक भरने का तरीका तथा सम्बन्धित निर्देश :

(क) उत्तर पत्रक पार्ट-I को भरने की प्रक्रिया ;

- उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. प्रकार का है जिसे कम्प्यूटर स्कैनर द्वारा पढ़ा जाना है।
- उत्तर पत्रक के पार्ट-I के निर्दिष्ट स्थानों पर रोल नम्बर / परीक्षा केन्द्र का कोड / परीक्षा पुस्तिका की संख्या आदि को उत्तर-पत्रक पर कम्प्यूटर-संगत प्रक्रिया से भरें। ऊपर के चौकोर खानों में अंक बाल प्वाइंट कलम की नीली / काली स्याही में भरें और सम्बन्धित गोलों को सिर्फ नीली / काली बॉल प्वाइंट पेन से भरें।

उदाहरण : यदि रोल नम्बर 17968221 है, तो

एवं

परीक्षा पुस्तिका संख्या 24391 है, तो

1	7	9	6	8	2	2	1
●	①	①	①	①	①	①	●
②	②	②	②	②	●	●	②
③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	●	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	●	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	●	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨
⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩

2	4	3	9	1
①	①	①	①	●
●	②	②	②	②
③	③	●	③	③
④	●	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	●	⑨
⑩	⑩	⑩	⑩	⑩

(ख) उत्तर पत्रक पार्ट-II को भरने की प्रक्रिया ;

- प्रश्न बहु-विकल्प प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये विकल्प उत्तरों में से केवल एक ही सर्वाधिक उपयुक्त है। परीक्षार्थी को प्रश्न संख्या के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के सामने के सम्बन्धित गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट पेन से ही रंगना है। अन्यथा उनके उत्तर पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

उदाहरण : यदि प्रश्न संख्या 7 के लिए विकल्प 'B' सही उत्तर है, तो प्रश्न संख्या 7 के सामने के सम्बन्धित गोले को नीचे दिखाये गये के अनुसार रंगना है :-

Q. No. 1	(A)	(B)	(C)	(D)
Q. No. 2	(A)	(B)	(C)	(D)
.....
.....
Q. No. 7	(A)	●	(C)	(D)

- (क) उपरोक्त क्रम (ख) में बताये गये अनुसार गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट पेन द्वारा ही रंगना है।

(ख) गोले को पूर्णरूप से भरा एवं रंगा होना चाहिए।

(ग) सही उत्तर से सम्बन्धित केवल एक ही गोले को रंगा जाना चाहिए जैसा नीचे दिखाया गया है :

सही : (A) ● (C) (D)

गलत : (A) ● ● (D) या (A) ● (C) (D) या (A) ● (C) (D) या (A) ● (C) (D)

गलत : (A) ● ● (D) या (A) ● (C) (D) या (A) ● ● (D) या (A) ● ● (D)


- (घ) उपयुक्त गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट कलम से रंगने से पहले अभ्यर्थी यह पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि वे उत्तर के लिए सर्वाधिक सही गोले को रंग रहे हैं क्योंकि गोले को रंगने में कोई परिवर्तन करना वर्जित है। उत्तर पत्रक में रंगे गये गोले को रबर या सफेद द्रव से मिटाने की अनुमति नहीं दी गयी है क्योंकि उत्तर पत्रक को मशीन द्वारा मूल्यांकित किया जाना है और ऐसा करने पर मूल्यांकन में त्रुटि हो जा सकती है।

(ड) यदि एक से अधिक गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट कलम से रंगा जायगा या उत्तर किसी अन्य प्रकार से अथवा ऊपर दिखाये गये गलत तरीकों से व्यक्त किया जायेगा तो उसे गलत करार दिया जायेगा ।

3. किसी प्रकार का कच्चा काम उत्तर पत्रक पर नहीं करना है । इस परीक्षा पुस्तिका में इसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है, उसी पर कच्चा काम करें ।
4. उत्तर पत्रक पर छपे “बार कोड” पर किसी तरह का निशान आदि न बनायें या इसे किसी तरह न विकृत करें और न विकृत होने दें अन्यथा परीक्षार्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।
5. उत्तर पत्रक के पार्ट-1 के अतिरिक्त उस पर किसी अन्य स्थान पर किसी प्रकार का निशान न बनायें या न छोड़ें अन्यथा यह उम्मीदवारी के लिए अयोग्यता करार दी जा सकती है ।
6. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के पार्ट-1 के पृष्ठ में अंकित गद्यांश को निदेशानुसार अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करें । हस्तलिपि जाँच के लिए यह अनिवार्य है । ऐसा नहीं करने पर आपके उत्तर पत्रक / उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा ।
7. उत्तर पत्रक की जाँच इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से की जायेगी । गलत तरीके से गोलों को रंगने के कारण उत्तर को गलत मान लेने का पूरा उत्तर दायित्व परीक्षार्थी का होगा ।
8. इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, लॉगबुक, स्लाइड रूल या किसी प्रकार के संचार उपकरणों तथा मोबाइल फोन, पेजर आदि का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित है।
9. अगर आपने ओ.एम.आर. के उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया तो आपका उत्तर पत्रक रद्द किया जा सकता है जिसके लिए आप स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

2. OMR उत्तर पत्रक का नमूना :

डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2016 परीक्षा के लिये उत्तर पत्रक का मार्गदर्शक नमूना मात्र है। वास्तविक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या एवं अन्य निर्देश/ विवरण भिन्न हो सकते हैं।

PART - 1		PART - 2																																																																																																																																																																																																																																																					
NAME OF THE CANDIDATE		NOTE: Please do read the instructions given overleaf very carefully before filling the OMR answer sheet.																																																																																																																																																																																																																																																					
<input type="text"/>		OMR उत्तर पत्रक को भरने के पहले पिछले पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक अवश्य पढ़ लें।																																																																																																																																																																																																																																																					
CENTRE CODE	COURSE GROUP	ANSWERS																																																																																																																																																																																																																																																					
<input type="text"/>	PE																																																																																																																																																																																																																																																						
IF A CANDIDATE TAMPERERS WITH THE BARCODE, HE / SHE WILL BE DECLARED DISQUALIFIED		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PHYSICS</th> <th>CHEMISTRY</th> <th>MATHEMATICS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>A B C D</td><td>31</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>2</td><td>A B C D</td><td>32</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>3</td><td>A B C D</td><td>33</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>4</td><td>A B C D</td><td>34</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>5</td><td>A B C D</td><td>35</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>6</td><td>A B C D</td><td>36</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>7</td><td>A B C D</td><td>37</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>8</td><td>A B C D</td><td>38</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>9</td><td>A B C D</td><td>39</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>10</td><td>A B C D</td><td>40</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>11</td><td>A B C D</td><td>41</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>12</td><td>A B C D</td><td>42</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>13</td><td>A B C D</td><td>43</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>14</td><td>A B C D</td><td>44</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>15</td><td>A B C D</td><td>45</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>16</td><td>A B C D</td><td>46</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>17</td><td>A B C D</td><td>47</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>18</td><td>A B C D</td><td>48</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>19</td><td>A B C D</td><td>49</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>20</td><td>A B C D</td><td>50</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>21</td><td>A B C D</td><td>51</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>22</td><td>A B C D</td><td>52</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>23</td><td>A B C D</td><td>53</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>24</td><td>A B C D</td><td>54</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>25</td><td>A B C D</td><td>55</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>26</td><td>A B C D</td><td>56</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>27</td><td>A B C D</td><td>57</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>28</td><td>A B C D</td><td>58</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>29</td><td>A B C D</td><td>59</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td>30</td><td>A B C D</td><td>60</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>61</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>62</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>63</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>64</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>65</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>66</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>67</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>68</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>69</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>70</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>71</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>72</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>73</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>74</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>75</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>76</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>77</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>78</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>79</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>80</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>81</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>82</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>83</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>84</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>85</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>86</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>87</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>88</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>89</td><td>A B C D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>90</td><td>A B C D</td></tr> </tbody> </table>			PHYSICS	CHEMISTRY	MATHEMATICS	1	A B C D	31	A B C D	2	A B C D	32	A B C D	3	A B C D	33	A B C D	4	A B C D	34	A B C D	5	A B C D	35	A B C D	6	A B C D	36	A B C D	7	A B C D	37	A B C D	8	A B C D	38	A B C D	9	A B C D	39	A B C D	10	A B C D	40	A B C D	11	A B C D	41	A B C D	12	A B C D	42	A B C D	13	A B C D	43	A B C D	14	A B C D	44	A B C D	15	A B C D	45	A B C D	16	A B C D	46	A B C D	17	A B C D	47	A B C D	18	A B C D	48	A B C D	19	A B C D	49	A B C D	20	A B C D	50	A B C D	21	A B C D	51	A B C D	22	A B C D	52	A B C D	23	A B C D	53	A B C D	24	A B C D	54	A B C D	25	A B C D	55	A B C D	26	A B C D	56	A B C D	27	A B C D	57	A B C D	28	A B C D	58	A B C D	29	A B C D	59	A B C D	30	A B C D	60	A B C D			61	A B C D			62	A B C D			63	A B C D			64	A B C D			65	A B C D			66	A B C D			67	A B C D			68	A B C D			69	A B C D			70	A B C D			71	A B C D			72	A B C D			73	A B C D			74	A B C D			75	A B C D			76	A B C D			77	A B C D			78	A B C D			79	A B C D			80	A B C D			81	A B C D			82	A B C D			83	A B C D			84	A B C D			85	A B C D			86	A B C D			87	A B C D			88	A B C D			89	A B C D			90	A B C D
	PHYSICS			CHEMISTRY	MATHEMATICS																																																																																																																																																																																																																																																		
1	A B C D	31	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
2	A B C D	32	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
3	A B C D	33	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
4	A B C D	34	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
5	A B C D	35	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
6	A B C D	36	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
7	A B C D	37	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
8	A B C D	38	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
9	A B C D	39	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
10	A B C D	40	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
11	A B C D	41	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
12	A B C D	42	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
13	A B C D	43	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
14	A B C D	44	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
15	A B C D	45	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
16	A B C D	46	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
17	A B C D	47	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
18	A B C D	48	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
19	A B C D	49	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
20	A B C D	50	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
21	A B C D	51	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
22	A B C D	52	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
23	A B C D	53	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
24	A B C D	54	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
25	A B C D	55	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
26	A B C D	56	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
27	A B C D	57	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
28	A B C D	58	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
29	A B C D	59	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
30	A B C D	60	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		61	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		62	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		63	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		64	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		65	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		66	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		67	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		68	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		69	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		70	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		71	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		72	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		73	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		74	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		75	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		76	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		77	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		78	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		79	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		80	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		81	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		82	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		83	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		84	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		85	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		86	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		87	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		88	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		89	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
		90	A B C D																																																																																																																																																																																																																																																				
BOOKLET NO.		<p>यदि उम्मीदी इस कार कोड को किसी प्रकार विकृत करवा दे तो उसे उत्तर पत्रक से हटा दिया जायेगा।</p> 																																																																																																																																																																																																																																																					
ROLL NUMBER																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>Full Signature of the Candidate परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर</p> <p>(अंग्रेजी में)</p> <p>(हिन्दी में)</p> <p>"Certified that the above entries are checked and found correct."</p> <p>Signature of Invigilator 1</p> <p>Signature of Invigilator 2</p> <p>हस्ताक्षर सम्बन्धी निर्देश पीछे पृष्ठ पर अंकित गद्यांश को निर्देशानुसार अपनी हस्ताक्षरिणी में पूर्ण रूप से लिख कर हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है अन्यथा आपके उत्तर पत्रक / उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा।</p>																																																																																																																																																																																																																																																							

महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 'OMR' उत्तर पत्रक के आयताकार बॉक्सों () में नीले / काले बॉल पेन से लिखें और सम्बन्धित गोलों () को नीले / काले बॉल पेन से पूरी तरह रंगें। अगर कोई अभ्यर्थी पेंसिल का व्यवहार रंगने में करेगा तो उसका उत्तर पत्रक रद्द कर दिया जायेगा।
Write in rectangular boxes () in all items of OMR Answer sheet and darken the corresponding circle () completely with BLUE/ BLACK BALL POINT PEN only. If any candidate uses the pencil for darkening the answer sheet his / her answer sheet will be rejected.
- यह निश्चित कर लें कि आपने निर्धारित स्थानों पर अपना सही रोल नम्बर, बुकलेट नम्बर एवं सेन्टर कोड भरा है।
Ensure that you have correctly filled up your Roll Number, Booklet No. and Centre Code in the corresponding spaces provided.
- 'OMR' उत्तर पत्रक के ऊपर कोई भी 'रफ' कार्य नहीं करें या कोई अवांछित चिह्न भी नहीं लगायें। साथ ही न उसे काटें, फाड़ें, मोड़ें और न उस पर किसी तरह की सिलवट पड़ने दें।
DO NOT scribble, scratch, cut, tear, fold, wrinkle or do any rough work on the OMR Answer sheet.
- OMR उत्तर पत्रक के पार्ट-2 पर या उसके पीछे किसी प्रकार का पहचान चिह्न नहीं लगायें अन्यथा आपके उत्तर पत्रक/उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा।
Do not leave any mark of identification on the front or the back of the Part-2 of the OMR Answer Sheet otherwise your Answer Sheet/Candidature is liable to be rejected.
- अभ्यर्थी अपने उत्तर को पूरी तरह सुनिश्चित कर के ही सम्बन्धित गोले को उत्तर पत्रक में भरें क्योंकि सम्बन्धित गोला भरने के बाद उत्तर में किसी तरह के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। किसी तरह के रबर, करेक्शन-तरल अथवा सफेद रंगने वाले पदार्थ का व्यवहार वर्जित है। क्योंकि उत्तर पत्रकों की जाँच मशीन द्वारा की जाती है और ऐसा करने से गलत मूल्यांकन हो जाने की सम्भावना है।
The candidates must fully satisfy themselves about the accuracy of the answer before darkening the appropriate circle as no change in answer once marked is allowed. Use of eraser or white / correction fluid on the Answer Sheet is not permissible as the Answer Sheets are machine gradable and it may lead to wrong evaluation.
- प्रश्न बहु-विकल्प प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये चार विकल्पों में से केवल एक ही सर्वाधिक उपयुक्त है। परीक्षार्थी को प्रश्न संख्या के सामने के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प से सम्बन्धित गोले को केवल नीले / काले बाल प्वाण्ट कलम से रंगना है।
The Questions are of multiple-choice type. Each question is provided with four choices of Answers, out of which ONLY ONE is MOST APPROPRIATE. The candidate must darken the appropriate circle provided in front of the question number using BLUE / BLACK Ball Point Pen only.
Example : If correct answer for question no. 10 is the choice 'B', than darken the circle in front of question no. 10 as shown below :-
उदाहरण : यदि प्रश्न संख्या 10 के लिये विकल्प 'B' सही उत्तर है, तो प्रश्न संख्या 10 के सामने के सम्बन्धित गोले को नीचे दिखाये गये के अनुसार रंगें :
गोला रंगने का तरीका (Method of Darkening Circle with Blue/ Black Ball Pen) :-
सही तरीका
Correct Method

<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------

गलत तरीका
Wrong Method

<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
- उत्तर पत्रक की जाँच इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से की जायेगी। गलत तरीके से गोलों को रंगने के कारण आपके उत्तर को गलत मान लेने का पूरा उत्तरदायित्व केवल आपका (परीक्षार्थी) ही होगा।
Answer sheet will be processed by electronic means. Invalidation of answer due to incorrect method of filling will be sole responsibility of the candidate.
- उत्तर पत्रक पर छपे "बार कोड" पर किसी तरह का निशान आदि न बनायें या इसे किसी तरह न विकृत करें और न विकृत होने दें अन्यथा परीक्षार्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
"Bar Code" printed on the Answer Sheet must not be tampered or in any way marked; otherwise the candidature will be rejected.
- दार्थी और अंकित गद्यांश को निर्देशानुसार अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करें। हस्तलिपि जाँच के लिए यह अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपके उत्तर पत्रक / उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा।
For verification of your handwriting, it is necessary to put your signature in Hindi & English after writing the complete prescribed TEXT, which is printed on the right side; otherwise, your answer sheet / candidature will be rejected.
- इलेक्ट्रॉनिक कैल्कुलेटर, लॉग टेबुल, स्लाइड रूल और किसी प्रकार के संचार उपकरणों यथा मोबाइल फोन, पेजर आदि का उपयोग पूर्ण रूप वर्जित है।
Use of Electronic Calculator, log table, slide rule and communication devices such as mobile phone, pager etc. is completely prohibited.
- अगर आपने ऊपर के निर्देशों का पालन नहीं किया और/या इस उत्तर पत्रक के पार्ट-I में अंकित सूचना में से कोई सूचना असत्य / अपूर्ण / विकृत / त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो आपका उत्तर पत्रक रद्द कर दिया जा सकता है जिसके लिए आप स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
In case you do not follow the above instructions and the entries made by you in Part-I of this answersheet is found incorrect / incomplete / untrue / fraudulent before or after your admission, your answer sheet is liable to be rejected for which you yourself will be fully responsible.

आवश्यक / IMPORTANT

नीचे लिखे गद्यांश को नीले/ काले 'बॉल प्वाण्ट' कलम से अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करें। हस्तलिपि जाँच के लिए यह अनिवार्य है और ऐसा नहीं करने पर आपके उत्तर पत्रक/उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा।

गद्यांश

“बुद्धि मन को अलग-अलग विषयों में ले जाती है, जिसके कारण मन उलझा रहता है। बुद्धि के स्थिर होते ही वह निश्चयात्मक हो जाता है। मन जब क्रियाशील होता है तो संकल्प में भी विकल्प खोजता रहता है। वह खुद नहीं जानता कि उसे क्या करना है। बुद्धि जब क्रियाशील होती है तो वह जीवन की अहमियत को समझती है, आगे बढ़ना और लक्ष्य को सिद्ध करना उसका ध्येय होता है।”

परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर (हिन्दी में)

परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर (अंग्रेजी में)

दिनांक:

परिशिष्ट-6

Schedule Programme for admissions to Engineering courses as notified by All India Council for Technical Education, New Delhi vide Advt. no.Legal/12(06)/2012

Sl.	<u>Event / Programme</u>	<u>Schedule</u>
1.	Conduct of Entrance Examination (AIEEE/ State CET/Mgt. quota exams etc.)	In the month of May
2.	Declaration of Results of Qualifying Examination (12th Exam or similar) and Entrance Examination	On or before 5th June
3.	1st round of counselling / admission for allotment of seats	To be completed on or before 30th June
4.	2nd round of counselling / admission for allotment of seats	To be completed on or before 10th July
5.	Last round of counselling / admission for allotment of seats	To be completed on or before 20th July
6.	Last date for admitting candidates in seats other than allotted above	30 July. However, any number of rounds for counselling could be conducted depending on local requirements, but all the rounds shall be completed before 30th July
7.	Commencement of academic session	1st August
8.	Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason (no student should be admitted in any Institution after the last date under any quota)	15th August

परिशिष्ट-7

BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD

DCECE -2016

**PASTE YOUR POST CARD SIZE PHOTOGRAPH ON THIS SHEET AND IT
MUST BE HANDED OVER TO THE INVIGILATOR
AT THE EXAMINATION CENTRE**

AFFIX YOUR POST CARD SIZE
PHOTOGRAPH HERE
(Same as uploaded on your online application form)

Name of the Candidate	:	Course Group	:
Registration No.	:	Roll No.	:
Father's Name	:	Date of Birth	:
Gender (Male/Female)	:	Examination Centre Code	:
Category (Gen/SC/ST/EBC/BC)	:		

Date :

Signature of Candidate in Hindi_____
Signature of Candidate in English**Signature of Invigilator**

माडल प्रपत्र
(निवास / आवासीय प्रमाण-पत्र)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री
पिता / पति ग्राम / नगर
पोस्ट थाना प्रखण्ड
अनुमण्डल..... जिला राज्य के स्थायी निवासी हैं ।

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)

स्थान

दिनांक

**माडल प्रपत्र
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)**

कार्यालय का नाम

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

पुत्र / पुत्री गांव / शहर

पोस्ट ऑफिस थाना अनुमण्डल

जिला राज्य समुदाय के सदस्य हैं,

जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति

एवं अनुसूचित जनजाति सूची (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)

अधिनियम, 1976 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूची में अनुक्रमांक

पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र/पुत्री

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार

गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस थाना

अनुमण्डल जिला राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

**माडल प्रपत्र
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)**

कार्यालय का नाम

पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति / श्री ग्राम / नगर

प्रखण्ड पोस्ट थाना

अनुमण्डल जिला राज्य

समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के

अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक

पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार

गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस

थाना अनुमण्डल जिला

राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

माडल प्रपत्र
(आय प्रमाण पत्र के लिये)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री
पिता / पति ग्राम / नगर
पोस्ट थाना प्रखण्ड
अनुमण्डल..... जिला राज्य एवं उनके परिवार की
कुल वार्षिक आय निम्नांकित है :-

सरकारी सेवा से आय -
व्यवसाय से आय -
कृषि से आय -
अन्य स्रोतों से आय -
कुल आय (वार्षिक) -

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)
बिहार राज्य

स्थान

दिनांक

आवश्यक

1. Online भरे हुए आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) की Downloaded hard copy के साथ Paid बैंक चालान एवं निर्दिष्ट अनुलग्नकों को रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजना आवश्यक है ।
2. रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर "APPLICATION FOR DCECE-2016", कोर्स ग्रुप का नाम एवं निबन्धन संख्या अवश्य लिखें ।
3. (क) Registered अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form को
अंतिम रूप से भरने की अंतिम तिथि : **27.04.2016(5.00 P.M.)**
(ख) सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ आवेदन प्रपत्रों की Hard
Copy रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से प्राप्ति की अन्तिम तिथि : **16.05.2016**
4. परीक्षा की तिथि : **11.06.2016 एवं 12.06.2016**
5. आवेदन पत्र एवं विवरण पुस्तिका का मूल्य
तथा किसी एक पाठ्यक्रम समूह की परीक्षा
के लिये परीक्षा-शुल्क कुल : देखें इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-11.1(ii)

दूरभाष संख्या- 0612-2220230, फ़ैक्स- 0612-2224346

Website : www.bceceboard.com